राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का पैंतालीसवां दिवस [संख्या: 24

शुक्रवार,

25 मार्च 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 15:00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ती सामूहिक दुष्कर्म तथा अपराधों की घटनाओं के बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से जनता जल योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा वाटर वर्क्सों में नियुक्त पम्प संचालकों को अकुशल श्रमिक से भी कम वेतन देने तथा वेतन का समय पर भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल में जनता जल योजना व सिंगल फेज नलकूपों को ग्राम पंचायत से जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के अधीन कराये जाने के सम्बन्ध में।
4. श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।
5. श्री रूपा राम (मकराना), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना में बिजली सप्लाई में आने वाली बाधाओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में।
6. श्री गोपाल लाल मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम गोपालगढ़ एवं घाटी घनश्यामपुरा के किसानों को खातेदारी हक दिलाने के सम्बन्ध में।

7. श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में ट्रोमा सेन्टर शुरू करने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

8. श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले के लूणकरणसर क्षेत्र में OVERLOADING ट्रकों के संचालन से हुई क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

9. श्री सुभाष पूनिया, सदस्य की ओर से तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव के परिजनों को कारगिल पैकेज के समान आर्थिक मदद दिये जाने के सम्बन्ध में।

10. श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द हुरडा की ग्राम पंचायत रूपाहेली में स्थित फैक्ट्री सिन्थोल ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में पुराने टायरों को जलाने पर जहरीली गैसें, कणों आदि के फैलने से आमजन में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

11. श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा आबू में वन विभाग को प्राप्त टोल टैक्स राशि का उपयोग वन सम्पदा के संरक्षण एवं वन्य जीवों पर खर्च नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री हरीश चन्द्र मीना, सदस्य की ओर से राजस्थान पुलिस में खेल कोटे से उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती में प्रदेश के खिलाड़ियों को प्राथमिकता दिये जाने के सम्बन्ध में।

13. श्री रामस्वरूप लाम्बा, सदस्य की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में डी.एम.एफ.टी. फण्ड का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास हेतु किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री मदन दिलावर।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

महिलाओं के प्रति बढ़ती अपराध की घटनाएं

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर

(श्री मदन दिलावर)

की घटना किसी से छिपी हुई नहीं है। जनवरी, 2022 में एक मूक बधिर नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को केवल दुर्घटना बताना सरकार की निकृष्ट मानसिकता को दर्शाता है, परन्तु सरकार कितनी घटनाओं को दुर्घटना बताएगी। अभी हाल ही में धरियावद जिला प्रतापगढ़ में सूनी सड़कों पर मोटर साइकिल सवार राहगीर चलती महिलाओं के साथ चल रहे पुरुष परिजनों को मारपीट कर भगा देना, फिर महिला को सुनसान जगह पर उठा कर ले जाना, सामूहिक बलात्कार करना किसी से छिपा हुआ नहीं है। 19 जनवरी, 2022 के आसपास हुई सामूहिक बलात्कार की घटनाओं के आरोपियों से बरामद मोबाइल फोन, प्राप्त वीडियो सारी घटना का खुलासा कर रहे हैं। जिन घटनाओं के वीडियो बनाये गये हैं, उन महिलाओं ने शर्म व अपनी इज्जत चौराहे पर नीलाम न हो, इसलिये एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवायी। ऐसी हजारों घटनाएं सामूहिक बलात्कार की हैं जिसमें पीड़िता कोई मूक बधिर है, कोई नेत्रहीन है, कोई अबोध बालिका है, कोई असहाय महिला है, यानी कोई मां, बहिन, बेटी प्रदेश में कहीं भी सुरक्षित नहीं रही है। अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती हो, चाहे खेत खलिहान में चारा व फसल काट रही हो या रखवाली कर रही हो, चाहे भेड़, बकरी व गाय चरा रही हो, चाहे स्कूल में पढ़ रही हो या पढ़कर घर लौट रही हो, चाहे पुलिस में बेटी, मां, बहिन शिकायत लेकर जा रही हो, शिकायत करने थाने पहुंच गयी हो तो वहां क्रमशः बलात्कारी चाहे पैरामेडिकल स्टाफ, शिक्षक व अन्य हो, बलात्कारी मां-बहनों के साथ दुष्कर्म करते हैं और असत्य रिपोर्ट दर्ज कराने का आरोप लगाकर उनका अपमान करने से भी पीछे नहीं रहते हैं। इसमें राजस्थान के कुछ पुलिस अधिकारियों ने महारत हासिल की हुई है।

यदि ये सच नहीं है कि एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हो रही तो सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में डूंडी पिटवाकर सभी क्षेत्रों में, हर दस हजार की बस्ती क्षेत्र में स्पेशल कैम्प लगाकर ऐसे सभी लोगों से आग्रह किया जाये कि जिनकी किन्हीं कारणों से पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है तो आइए हम आपकी निष्पक्ष होकर रिपोर्ट दर्ज करेंगे। मेरा मानना है कि कम से कम इसी वर्ष ही एक लाख लोग एफ.आई.आर. दर्ज कराने विशेष कैम्पों में अपना आवेदन करेंगे, परंतु मुझे अंदेशा है कि इस सरकार की पोल खुलने के डर से सरकार ऐसा नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संतोष (अनुपस्थित)। श्रीमती मंजु देवी।

जायल में जनता जल योजना व सिंगल फेज नलकूपों को ग्राम पंचायत से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तांतरण

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत जनता जल योजना व सिंगल फेज नलकूपों को ग्राम पंचायत से पी.एच.ई.डी. विभाग के अधीन करने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल में वर्तमान में गांवों में जनता जल योजना व सिंगल फेज नलकूप का रख-रखाव व विद्युत बिलों का भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के अधीन तकनीकी कर्मचारी नहीं होने के कारण उक्त योजनाओं का रख-रखाव सही रूप से नहीं हो पा रहा है जिसके कारण गांवों में पेयजल की व्यवस्था बाधित हो रही है। साथ ही ग्राम पंचायतों के पास अतिरिक्त बजट नहीं होने के कारण नलकूप काफी दिनों तक बन्द पड़े रहते हैं जिसके कारण गांवों में आये दिन पानी की समस्या उत्पन्न होती रहती है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पी.एच.ई.डी. के मार्फत करीब 9 जनता जल योजनाएं हैं जिनका पंचायती राज के माध्यम से रख-रखाव आदि का भुगतान समय पर न होने के कारण उक्त योजनाओं पर विपरीत असर पड़ रहा है।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि जनता जल योजना व सिंगल फेज नलकूपों को ग्राम पंचायतों से पी.एच.ई.डी. विभाग के अधीन करने की कृपा करावें ताकि समय पर नलकूपों का रख-रखाव हो सके और मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता को पानी की समस्या से राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहर थाना में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, शैक्षिक स्तर में मेरी विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण झालावाड़ जिला लगातार तीन वर्षों से शिक्षा में पिछड़ता जा रहा है। माह जुलाई, 2020 में झालावाड़ राजस्थान में शैक्षिक रैंकिंग में छठे स्थान पर था जबकि उससे पहले जून माह में 2019 में इक्कीसवें स्थान पर था। इस वर्ष लगातार गिरावट आ

(श्री गोविन्द प्रसाद)

रही है और जून, 2021 में तेईसवें स्थान पर पहुंच गया है। जुलाई 2021 में सीधे ही इकतीसवें स्थान पर पहुंच गया है, जो एक गम्भीर मामला है।

एक तरफ सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ लगातार शिक्षकों का स्थानान्तरण एवं सरकार की अनदेखी के कारण वर्ष 2019 में जहां 260 पद रिक्त हुए थे, वहीं लगातार सरकार ने 2020 में पदों को भरने के बजाय 420 पद और रिक्त कर दिये जिससे शिक्षकों के कुल 600 पद रिक्त हो गये हैं जो लगभग 33 प्रतिशत हो गये हैं। इससे विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के छात्र-छात्राओं के साथ राज्य सरकार द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या सरकार की यही मंशा है? मैंने बार-बार सदन में भी अवगत कराया है एवं शिक्षा मंत्री को अवगत कराने के बाद भी पद भरने की जगह रिक्त किये जा रहे हैं। क्या सरकार द्वारा रिक्त पदों को शीघ्र भर दिया जायेगा? यदि नहीं भरा गया तो आने वाले समय में विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना ही नहीं, सम्पूर्ण झालावाड़ जिले को बड़ा आन्दोलन करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री रूपा राम (मकराना) (अनुपस्थित), श्री गोपाल लाल मीना (अनुपस्थित), श्री धर्मेन्द्र कुमार।

पीलीबंगा में ट्रोमा सेंटर की स्थापना एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में पीलीबंगा क्षेत्र के पीलीबंगा, रावतसर, गोलूवाला व डबली सी एच सी व रावतसर में एक ट्रोमा सेंटर है, जो दस-बारह वर्ष पूर्व बना था। ट्रोमा सेंटर की बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। रावतसर शहर से मेगा हाइवे व हनुमानगढ़ व दिल्ली दो रोड लगती है। ट्रकों व अन्य साधनों का आवागमन अधिक रहता है। आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ट्रोमा सेंटर बनने के बाद आज तक शुरू नहीं हुआ है क्योंकि ट्रोमा में पर्याप्त डाक्टर नहीं हैं, जरूरत के उपकरण नहीं हैं, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। कुछ उपकरण थे, वे ही अन्यत्र ले गये। पीड़ितों को हनुमानगढ़ या बीकानेर में रैफर किया जाता है। तत्काल इलाज समय पर नहीं

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मौत निगल लेती है। मेरा आपसे निवेदन है कि रावतसर ट्रोमा सेंटर में डाक्टर्स व जरूरत अनुसार उपकरण उपलब्ध करवाकर उसे शुरू कर दिया जाये ताकि आमजन को लाभ मिल सके।

इसी प्रकार पीलीबंगा बड़ा शहर है व गोलूवाला, डबली बड़े कस्बे हैं। वहां तीनों जगह सी.एच.सी. हैं, परंतु तीनों में पर्याप्त डाक्टर नहीं है। नर्सिंग स्टाफ भी कम हैं। रोगियों की आउटडोर अधिक है। सम्बन्धित सी.एच.सी. में डॉक्टर व स्टाफ कम होने के कारण वहां के नागरिकों को हनुमानगढ़ या गंगानगर जाना पड़ता है। यहां डाक्टर्स व स्टाफ के खाली पद भरे जावें व पीलीबंगा व गोलूवाला सी.एच.सी. में अधिक आउटडोर होने के कारण दोनों सी.एच.सी. के अन्दर क्षेत्र अधिक लगता है इसलिये इन्हें क्रमोन्नत करें ताकि मेरी विधान सभा क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। इसी प्रकार पीलीबंगा सी.एच.सी. जर्जर है व डॉक्टरों के रहने के लिये क्वार्टर भी नहीं है। डॉक्टर अस्पताल परिसर से बाहर रहते हैं। इमरजेंसी केस में दिक्कत आती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पीलीबंगा सी.एच.सी. की जर्जर बिल्डिंग का सुधार किया जावे व डाक्टर्स के लिये अस्पताल परिसर में आवास बनाया जावे।

अत: मेरा इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि उपरोक्त विषय पर उचित कार्यवाही की जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सुमित गोदारा।

लूणकरणसर में ओवरलोडेड वाहनों से क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि देश की बेहतरीन STATE OF ROAD व आने वाले समय में पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र की तकदीर व तस्वीर बदलने वाली अमृतसर से जामनगर 25 हजार करोड़ लागत से ग्रीन एक्सप्रेस कोरिडोर हाईवे का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है। बीकानेर जिले, विशेष लूणकरणसर क्षेत्र के बड़े भूभाग से यह हाईवे गुजर रहा है। ज़िले के प्रशासनिक अधिकारियों, परिवहन अधिकारियों, माइनिंग अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत व लापरवाही के कारण निरन्तर OVERLOAD ट्रकों का संचालन हो रहा है,

(श्री सुमित गोदारा)

जिसके कारण से गांवों की सम्पर्क सड़कें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिसके कारण आवागमन ठप हो चुका है। विशेष निम्न सड़क मार्ग अति प्रभावित हुए हैं-

शेरेरा से राणीसर

रूपिया बड़ा बास से शेरेरा

नापासर-बीकानेर मार्ग

कालू-सहजरासर-कुजटी

लूणकरणसर-नाथवाना-किसनासर

चक 247 RD से नाथवाना मार्ग

गोपलयान-LKD

बखुसर-सूई-ढाणी छिलला शेरपुरा मार्ग।

मेरा निवेदन है कि सरकार संवेदकों को निर्देशित करे कि जो OVER-LOADING परिवहन के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनका पुनः निर्माण सम्बन्धित संवेदकों द्वारा कराया जाये, जिससे ग्रामवासियों का आगमन सुचारु हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुभाष पूनिया।

कुन्नूर (तमिलनाडु) हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद कुलदीप सिंह राव के परिवार को कारगिल पैकेज समकक्ष आर्थिक मदद

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार और सैनिक कल्याण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि गत दिनों तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के एक छोटे से गांव घरडाना खुर्द निवासी स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव के परिजनों को कारगिल पैकेज की तरह आर्थिक मदद एवं सम्मान प्रदान किया जाये।

श्री कुलदीप सिंह राव के शहीद हो जाने पर उनके पार्थिक शव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये राज्य सरकार की ओर से कई मंत्रीगण, क्षेत्र के विधायकगण, प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष सहित अनेक जन प्रतिनिधिगण ने उनके पैतृक गांव घरडाना खुर्द पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उस

(श्री सुभाष पूनिया)

मौके पर राज्य सरकार की ओर से उनके परिवारजनों को सभी जन प्रतिनिधियों की ओर से हरसम्भव सहायता का आश्वासन दिया था, परन्तु आज तक उक्त शहीद के परिवारजनों को किसी प्रकार की आर्थिक मदद प्रदान नहीं की गयी है। इससे एक तरफ उन देशभक्त शहीद के परिवारजनों में आक्रोश व्याप्त है, साथ ही राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा की गयी घोषणा को आज तक पूरी नहीं करना उन शहीदों के प्रति भी अपमान है।

अत: मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि हमारे क्षेत्र के निवासी एवं देश के लिये शहीद हुए श्री कुलदीप सिंह राव के परिवारजनों को कारगिल पैकेज की तरह आर्थिक मदद प्रदान की जाये। साथ ही उनके सम्मान में एक खेल स्टेडियम का भी निर्माण कराया जाये ताकि नई युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जब्बर सिंह सांखला (अनुपस्थित)। समाराम गरासिया।

पिण्डवाड़ा-आबू में प्राप्त टोल टैक्स राशि का वन सम्पदा के संरक्षण व वन्य जीवों हेतु उपयोग

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पिडवाड़ा-आबू में आबू पर्वत पर वन्यजीव अभयारण्य आबू में नगरपालिका के टोल टैक्स की आय की 30 प्रतिशत राशि वन विभाग को जाती है और सनसेट पाइंट पर वन विभाग द्वारा स्वयं का नाका लगाकर पर्यटकों से राशि वसूल की जा रही है, उससे लाखों रुपये का राजस्व विभाग को प्राप्त हो रहा है, लेकिन वन विभाग के द्वारा वन्य जीवों एवं वन सम्पदा के रख-रखाव में कोई राशि खर्च नहीं की जा रही है। वन्य जीवों के लिये पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, जिसके कारण वन्य जीवों जैसे भालू आये दिन आबादी क्षेत्र की ओर आ रहे हैं और लोगों पर भालुओं के द्वारा जानलेवा हमला किया जा रहा है और विभाग घायलों को राशि भी समय पर नहीं दे रहे हैं और विभाग द्वारा लाखों के राजस्व की आय का उपयोग कहां पर खर्च किया गया है, इसका विवरण सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि वन क्षेत्र के ग्रामीण इलाक़े

(श्री समाराम गरासिया)

अचपुरा, काछौली, नितौडा, ईसरा, चण्डेला, मुदरला सहित विभिन्न गांवों के पीने के पानी की उचित व्यवस्था की जाये। विभाग द्वारा राजस्व का सदुपयोग किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हरीश चन्द्र मीना (अनुपस्थित)। श्री रामस्वरूप लाम्बा (अनुपस्थित)।

गैर सरकारी संकल्प। श्री अशोक लाहोटी।

नियम का निलम्बन

गैर सरकारी संकल्पों के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 26 व 27 का निलम्बन

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गैर सरकारी संकल्पों को प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 306 के अन्तर्गत, प्रक्रिया के नियम 26 के प्रावधानों को लागू किया जाना निलम्बित किया जाकर, शलाका में क्रमश: आये सभी पांच गैर सरकारी संकल्पों को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाये तथा प्रक्रिया के नियम 27 के अन्तर्गत संकल्प पर वाद विवाद उसी या अगले सत्र में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत किये गये अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि गैर सरकारी संकल्पों को प्रस्तुत किये जाने हेतु नियम को निलम्बित करने की स्वीकृति प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

नियम को निलम्बित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

गैर सरकारी संकल्पों पर विचार। माननीय सदस्यगण, आज की कार्य सूची में सम्मिलित किये गये सभी पांच गैर सरकारी संकल्पों पर सदन में विचार हो तथा सभी सदस्यों को यह जानकारी हो कि गैर सरकारी संकल्पों पर सदन में विचार किस प्रकार होता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मैं निवेदन करता हूं कि एक संकल्प प्रस्तुत करने वाले सदस्य के विचार प्रकट करने के उपरान्त, संकल्प पर संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्यों सहित, अन्य सदस्यों द्वारा भी विचार प्रकट किये जाने के उपरान्त दूसरे संकल्प को विचारार्थ लिया जायेगा

(श्री अध्यक्ष)

इस प्रकार हमारा प्रयास रहेगा, आज सभी पांच संकल्पों पर विचार हो सके। माननीय सदस्यगण से निवेदन है कि आधा-आधा घंटे पर एक संकल्प पर चर्चा करेंगे, तो हम पांचों संकल्पों पर चर्चा कर पाएंगे। जैसा प्रस्ताव रखा है, फिर यह संकल्प अगली मीटिंग के लिये स्थगित किये जाएंगे। श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: हाफ एन आवर में एक हो जायेगा तो मैं समझता हूं कि हर एक हो जायेगा। आधा-आधा घंटे में लाहोटी जी और संशोधन देने वाले कटारिया जी और बिहारीलाल जी अपना वक्तव्य कर देंगे तो फिर दूसरा संकल्प लेंगे तो लाहोटी जी अपना जो टाइम है, उसी तरह से डिसाइड करें। अशोक लाहोटी।

गैर सरकारी संकल्प

यह सदन संकल्प करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता के सम्बन्ध में जागरूक किया जाये तथा राज्य सरकार प्रदेश के स्कूलों में इसे पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करे।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): जी, अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं:- "यह सदन संकल्प करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता के सम्बन्ध में जागरूक किया जाये तथा राज्य सरकार प्रदेश के स्कूलों में इसे पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करे।"

अध्यक्ष महोदय, स्वच्छता हमारे जीवन का भी और प्रकृति भी, सबसे जरूरी अंग अगर हम किसी को मानते हैं तो स्वच्छता है। यह आज से नहीं सनातन काल से वैदिक काल से स्वच्छता के बारे में हमेशा चर्चा रही है। इसीलिये...

श्री अध्यक्ष: ऐसा करते हैं, एक बार सभी रख देते हैं। उसके बाद चर्चा प्रारम्भ करेंगे। आपने पहला रख दिया। फिर, श्री राजेन्द्र राठौड़।

यह सदन संकल्प करता है कि प्रदेश में सतही जल की कमी व भू-जल के अंधाधुंध दोहन से भू-जल के निरंतर गिरते स्तर से होने वाले संकट से बचाव के लिये भू-जल दोहन पर नियंत्रण व जल संरक्षण हेतु आवश्यक व प्रभावी कदम उठाये जायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं:-

"यह सदन संकल्प करता है कि प्रदेश में सतही जल की कमी व भू-जल के अंधाधुंध दोहन से भू-जल के निरंतर गिरते स्तर से होने वाले संकट से बचाव के लिये भू-जल दोहन पर नियंत्रण व जल संरक्षण हेतु आवश्यक व प्रभावी कदम उठाये जायें।"

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत।

यह सदन संकल्प करता है कि राजस्थानी भाषा के उन्नयन और प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिये राज्य सरकार राजस्थानी भाषा को प्रदेश में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं:-

"यह सदन संकल्प करता है कि राजस्थानी भाषा के उन्नयन और प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिये राज्य सरकार राजस्थानी भाषा को प्रदेश में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये।"

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश।

यह सदन संकल्प करता है कि प्रदेश में जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए विकास की योजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ने से राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण हेतु कानून बनाये।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं:-

"यह सदन संकल्प करता है कि प्रदेश में जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए विकास की योजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ने से राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण हेतु कानून बनाये।"

(समय: 15.20 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री अविनाश का हो गया। श्रीमती अनिता भदेल।

यह सदन संकल्प करता है कि प्रदेश में नशे की लत से युवा पीढ़ी को बचाने हेतु मादक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री एवं सेवन पर प्रतिबंध के सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करती हूं:-

"यह सदन संकल्प करता है कि प्रदेश में नशे की लत से युवा पीढ़ी को बचाने हेतु मादक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री एवं सेवन पर प्रतिबंध के सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाये।"

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी। (व्यवधान)

यह सदन संकल्प करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता के सम्बन्ध में जागरूक किया जाये तथा राज्य सरकार प्रदेश के स्कूलों में इसे पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करे।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): वह तो कर दिया न अध्यक्षजी ने। सब पर किया है। नियम में छूट मांगी है, मैंने रखा है और अध्यक्षजी ने पास कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय स्वच्छता जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग है, प्रकृति को बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज सदन में हम संकल्प के रूप में इस पर चर्चा कर रहे हैं और मैं यह समझता हूं कि ऐसे विषय पर पूरा सदन एक मत होकर यदि हम समाज में इस बात को रखेंगे तो निश्चित रूप से समाज में इसका एक बहुत ही पॉजिटिव और एक सराहनीय पहलू जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, हम वैदिक काल से, सनातन काल से भी यदि बात करें तो उस समय भी पर्यावरण और स्वच्छता के बारे में लिखा है कि-

'पर्यावरणनाशेन नश्यन्ति सर्वजन्तव:।

पवन: दुष्टतां याति प्रकृतिर्विकृतायते।।'

अर्थात्, पर्यावरण के प्रदूषित होने से सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। हवा दुष्टता को प्राप्त हो जाती है और यह प्रकृति विकृत हो जाती है और उसी समय यह लिखा है कि- 'मार्गे स्वच्छता विराजिते, ग्रामे सुजना विराजिते।' अर्थात्, सड़क पर सफाई होने से पता चलता है कि गांव में सज्जन और स्वच्छ लोग रहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह स्वच्छता केवल एक छोटा विषय नहीं है कि हम केवल साफ-सफाई और इससे लेकर ही यह करें। इसमें यह भी

(श्री अशोक लाहोटी)

लिखा है कि यह मन, वाणी, कर्म, शरीर, हृदय, चित्त, समाज, परिवार, संस्कृति और व्यवहार से लेकर धर्म और विज्ञान तक में स्वच्छता का विशेष महत्व है। जीवन, परिवार, समाज, संस्कृति, राष्ट्र, विश्व और चेतना के उच्च आदर्शों को प्राप्त करने लिए स्वच्छता प्रथम सोपान है।

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने देश की आजादी के समय भी स्वच्छता के बारे में काफी बातें कहीं और केवल काफी बातें ही नहीं कहीं, देश को एक नयी दिशा देने का काम स्वच्छता के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपिता महोदय ने उस समय शुरू किया था और उस समय बापू यह कहते थे कि साफ-सफाई ईश्वरीय भक्ति के बराबर है और इसलिए उन लोगों को स्वच्छता बनाये रखने सम्बन्धी शिक्षा दी थी और देश को उत्कर्ष संदेश दिया था।

बापू ने स्वच्छता के बारे में विशेष रूप से यह कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी स्वच्छता है और उन्होंने ही यह कहा था कि यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता। बेहतर साफ-सफाई से भारत के गांवों को आदर्श बनाया जा सकता है। शौचालय की सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, वह आदरणीय महात्मा गांधीजी ने उस समय कही कि शौचालय को अपने ड्राइंग रूम से भी ज्यादा साफ रखने की आवश्यकता है। नदियों को साफ रखकर हम अपनी सभ्यता को जिंदा रख सकते हैं। ऐसे विचार उस समय उन्होंने कहा और उन्होंने यह कहा कि यदि गंदगी हम फैलाते हैं तो उसको साफ करने का फर्ज भी हमारा स्वयं का बनता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि देश की सरकारों ने भी स्वच्छता के बारे में समय-समय पर कई निर्णय किये हैं। यदि हम पहली बार देखें तो आधिकारिक रूप से 01 अप्रैल, 1999 से भारत ने व्यापक ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का पुनर्गठन किया और पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) शुरू किया। इसके बाद में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी ने 01 अप्रैल, 2012 को निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.) नाम दिया गया और यह अभियान शुरू हुआ लेकिन यह बात सही है कि इसे ठोस और व्यावहारिक रूप यदि देने का काम इस स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से 2 अक्टूबर, 2014 को हुआ और सबसे बड़ी स्वच्छता ने गति तब

(श्री अशोक लाहोटी)

पकड़ी जब देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदीजी ने लाल किले की प्राचीर से जब पूरी दुनिया यह देख रही थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारत में बनी है, देश की फाइनेंस पालिसी पर, देश की डिफेंस पालिसी पर, देश की शिक्षा नीति पर बात होगी, उस समय उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण यह बताया कि इस देश की माताओं, बहनों के लिए, इस देश को शौच-मुक्त करना आवश्यक है। आदरणीय महात्मा गांधीजी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाना आवश्यक है तो उसको एक कोई छोटा अभियान नहीं लिया, 1 लाख 96 हजार करोड़ रुपये का एक अभियान लेकर देश के प्रधान मंत्रीजी ने पहली बार महात्मा गांधीजी के जन्म को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उन्होंने यह तय किया कि महात्मा गांधीजी के जन्म के 150 वर्ष पूरे होने से पहले 02 अक्टूबर, 2019 तक देश को शौच-मुक्त भारत, खुले में शौच-मुक्त (ओ.डी.एफ.) भारत का निर्माण करेंगे और जैसा मैंने कहा कि इसके लिए 1 लाख 96 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया।

माननीय सभापति महोदय, उस समय से इस स्वच्छ भारत अभियान को पंख लगे। 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम शुरू किया और मैं यह धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान में भी 78 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य अब तक राजस्थान पूरा कर चुका है। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत बड़ा अभियान था। देश के प्रधान मंत्रीजी ने जब इसकी बात की तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जेहन में, हर व्यक्ति के मन में स्वच्छता का विषय उत्पन्न हुआ और देश में धीरे-धीरे स्वच्छता के बारे में यह बात चली और स्वच्छ भारत अभियान के नाते हमारा काम आगे बढ़ा।

माननीय सभापति महोदय, यदि मैं बात करूं आज देश में इसकी स्थिति की तो पूरा विश्व तो पहले से ही 19 नवम्बर को विश्व स्वच्छता दिवस के रूप में मनाता है लेकिन यदि देश में आज हम बात करें तो आज हमारे देश में 6 करोड़ टन कचरा प्रतिवर्ष पैदा होता है और यह दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। 6 करोड़ टन कचरे में एक करोड़ टन कचरा तो केवल चार महानगरों में होता है- दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और बंगलौर और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में हो रहा है तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी हालत क्या है और यही हालत यदि आज राजस्थान की हम बात करें तो देश में 26 हजार मैट्रिक टन प्लास्टिक निकल रहा है और 2031 के जो सर्वे में आया है इसमें से 40 प्रतिशत प्लास्टिक ड्रेनेज और हमारी नदियों को रोकता है और

(श्री अशोक लाहोटी)

अभी जो 2031 का जो सर्वे है, उसमें 110 मिलियन टन प्लास्टिक भारत में निकलने लग जायेगा और 2041 में यह 200 मिलियन टन कचरा निकलने का अनुमान है।

माननीय सभापति महोदय, एक अनुमान के मुताबिक देश की प्रत्येक गाय के, हमारी गाय माता के, प्रत्येक गाय माता के पेट में 30 किलो प्लास्टिक है देश की प्रत्येक गाय माता के पेट में, यह हम सबके लिए चिंतनीय विषय है, हम सबके लिए शोचनीय विषय है कि जो कचरा हम फैला रहे हैं, जो प्लास्टिक का यूज हम कर रहे हैं, वह प्लास्टिक गौ-माता को भी परेशान कर रही है। प्लास्टिक गौ-माता की बीमारी का कारण बन रही है और 2025 का जो डब्ल्यू.एच.ओ. का हैल्थ इंडेक्स है, उसमें यह स्पष्ट रूप से आया है कि 2025 में जो बीमारियां बढ़ रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा बीमारी कैंसर की बढ़ रही है और उसमें सबसे बड़ा कोई योगदान है तो यूरिया-जनित खाद्य सामग्री के साथ-साथ इस प्लास्टिक का सबसे बड़ा योगदान है, जिससे आने वाले दिनों में यह कैंसर फैल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आज सदन में हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात सदन में और रखना चाहता हूं कि सदन में हम जिस प्रकार से हमने यह सफाई व्यवस्था का जो काम शुरू किया है, इसको स्वच्छता का अभियान लिया है, उसी समय देश में कई सारी एजेंसीज ने इसमें काम शुरू किया। प्रधान मंत्रीजी के आहवान पर टाटा जैसी कम्पनियां और बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने भी स्वच्छता में अपनी सहभागिता निभायी। टाटा सर्विसेज हो, महिंद्रा ग्रुप हो, रोटरी इंटरनेशनल हो, इन 14 कम्पनियों ने 3195 नये शौचालय बनाने का, निर्माण का काम शुरू किया और उसी महीने में भारत में 71 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 86781 नये शौचालय बनाये गये।

माननीय सभापति महोदय, यह सब बातें तो हैं लेकिन इन सबको आखिर इनको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि आज राजस्थान में हम बात करें तो अभी जो स्टडी आयी है, हमारे 28 शहरों में 70 लाख टन कचरा, 70 लाख टन कचरा 28 शहरों में एक ठोस अपशिष्ट के माध्यम से पड़ा है। उस 70 लाख टन कचरे को, मैं यह धन्यवाद भी दूंगा कि राजस्थान सरकार ने भी यह चिंता करनी शुरू की है। आपने अभी केन्द्र को एक पत्र

(श्री अशोक लाहोटी)

लिखा है और पचास प्रतिशत राशि केन्द्र से मांगी है लेकिन पहले से ही स्वच्छ भारत अभियान में 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार दे रही है। इसके लिए 288 करोड़ रुपये का कुल बजट का प्रावधान राज्य सरकार ने सोचा है कि इन सब चीजों में मिलाकर 28 शहरों में, मैं केवल शहरों-शहरों का ही बता रहा हूं, गांव अलग है।

सभापति महोदय, आज जरूरत हो गयी है कि इस विषय पर हम गम्भीर चिन्तन करें। गम्भीर चिन्तन नहीं करेंगे तो जो शहरों के हालात हैं, वह धीरे-धीरे गांवों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार से गांवों में जा रहे हैं। आज हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में स्वच्छ भारत अभियान के बाद किसी ने लिखा है कि-

"स्वच्छ बने भारत अपना, सपना था अपने बापू का
स्वच्छ भारत अभियान सफल हो, जिससे मैल मिटे सब तन मन का
शुद्ध सुदृढ़ मानसिकता हो सबकी, एक दूजे का साथ निभायें
मन कर्म और वचन की शुद्धता को, जीवन का ध्येय बनायें
स्वच्छ भारत अभियान का, यह सपना तभी सच हो पायेगा
हर एक मनुष्य जागृत होकर, स्वच्छता को जीवन का लक्ष्य बनायेगा।"

सभापति महोदय, राजस्थान के बारे में कई बार हमने सुना है कि राजस्थान के कण-कण में टूरिज्म है। राजस्थान के हर गांव में टूरिज्म है। आज यदि दुनिया की अगर हम बात करें तो राजस्थान जैसा वैभव, राजस्थान जैसी विरासत....(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, अभी तो बहुत समय पड़ा है। मैं उसी विषय को ले रहा हूं साथ ही। इसी का पार्ट है। माननीय, आप ऐसे संकल्प पर तो गम्भीरता रखें।

श्री सभापति: बोलिये, बोलिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हमें पता है, आप सत्ता में हो, लेकिन संकल्पों पर गम्भीरता रखें।

श्री सभापति: आप अपने संकल्प पर बोलिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं इसी पर आ रहा

(श्री अशोक लाहोटी)

हूं। स्वच्छता केवल एक झाड़ू लगाने का विषय नहीं है। स्वच्छता केवल कचरा उठाने का एक विषय नहीं है। जैसे मैंने कहा स्वच्छता हमारे हर क्रिया-कलाप से जुड़ा हुआ है। मैंने इसलिए टूरिज्म से शुरू किया कि आज राजस्थान की पूरी इकॉनामी टूरिज्म पर डिपेंड हो सकती है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनकी पूरी की पूरी इकॉनामी केवल टूरिज्म पर चलती है और राजस्थान तो वह प्रदेश है जहां जितना टूरिज्म है, उतना दुनिया के किसी देश में नहीं है, उतना अकेले हमारे प्रदेश में है।

मैं धन्यवाद दूंगा कि 2019 में टूरिज्म की डिमाण्ड पर यहां विराजमान मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य श्री खुशवीरसिंहजी ने विषय रखा था, उन्होंने टूरिज्म के चित्रण का एक दर्शन दिया था कि किस प्रकार से उनके क्षेत्र में एक ट्रेन निकलती है और वह 25 किलोमीटर का जो ट्रेक है, यदि उसको टूरिज्म सर्किट में जोड़ दिया जाये तो दुनिया के लाखों लोग हमारे यहां टूरिज्म में आ सकते हैं। कल माननीय अध्यक्षजी ने एक विषय बताया था कि एक छोटे से गांव को टूरिज्म में डवलप करके 45 लाख लोग उस टूरिज्म को, उस गांव को देखने गये हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार का टूरिज्म हमारे कण-कण में है। हमारे मेवाड़ क्षेत्र की जो नहरें हैं, जो मेवाड़ का क्षेत्र है, ऐसी नहरें और ऐसी झीलें कहीं पर नहीं हैं। हमारे पास जिस तरह का डेजर्ट है, वैसा कहीं पर नहीं है। हमारे पास जिस तरह के फोरेस्ट हैं, चाहे सवाई माधोपुर का हो, चाहे यहां का हो, चाहे पाली का हो, उस तरह के साइट सीन कहीं पर भी नहीं हैं। हमारी जैसी भौगोलिक स्थिति कहीं पर नहीं हैं। हमारे कण-कण में टूरिज्म है। हमारे गांव-गांव में टूरिज्म है। हमारे खान-पान में टूरिज्म है। हमारे रहन-सहन में टूरिज्म है। हमारी संस्कृति टूरिज्म है। हमारे पास धार्मिक टूरिज्म हैं। इन सबके बावजूद हम क्यों पिछड़ रहे हैं, यह सबसे बड़ा कारण है सभापति महोदय, क्योंकि हमने टूरिज्म के साथ स्वच्छता को नहीं जोड़ रखा।

सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देता हूं। जब मैं यहां पर मेयर था तो हम लोग एक ट्यूर में गये स्कॉटलैण्ड। स्कॉटलैण्ड के किले पर जब हमको लेकर गये तो मैंने पूछा कि यहां कितने टूरिस्ट आते हैं। स्कॉटलैण्ड का किला हमारे आमेर के किले से केवल 10 प्रतिशत किला है, छोटा-सा, लेकिन वहां 15 हजार टूरिस्ट पर-डे, यह उनका रिकार्ड है तो क्या राजस्थान में इतने टूरिस्ट हम नहीं ला सकते? ला सकते हैं। हमको जरूरत है तो आज गांव-गांव में

(श्री अशोक लाहोटी)

स्वच्छता की। गांव-गांव में स्वच्छता अपने जेहन में लाने की। केवल संकल्प लेने से स्वच्छता नहीं होगी।

सभापति महोदय, कुछ काम जो हम कर सकते हैं स्वच्छता में, हमारे जीवन का अभिन्न अंग हम बना सकते हैं, मैं उन पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। प्रधान मंत्रीजी के अभियान के बाद यह निश्चित है कि लोग स्वच्छता के बारे में आज जागरूक हुए हैं। लोगों के जेहन में भी है कि हमको स्वच्छता करनी है, सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति स्वच्छता करना चाहता है, लेकिन वह किस प्रकार से करे। जब स्वच्छता भारत अभियान शुरू हुआ, पहली बार राजस्थान में एक नई सोच आयी, गाड़ियां शुरू की गयीं। मैं उस समय मेयर था। हमने घर-घर से कचरा उठाने का काम शुरू किया और एक गाना बजता था, 'स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया है हमने', उस गाने से स्कूल के बच्चे भी उठने लग गये और एक-एक स्कूल जाकर अभियान चलाया और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पहली बार जयपुर देश की सारी राजधानियों में नम्बर वन आया और जयपुर को दो-दो फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी के अवार्ड भी मिले, लेकिन दुर्भाग्य से उस अभियान को भी हमने धीरे-धीरे रोका। हर व्यक्ति चाहता है स्वच्छता, लेकिन हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसको किस प्रकार से करना है। हम यहां पर बैठे हुए माननीय सदस्यों को उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर हमको देना पड़ेगा, उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकार को देना पड़ेगा कि व्यक्ति गीला और सूखा कचरा अलग करे। वह गीले कचरे को थैली में डाले। आज दुनिया में क्या हो रहा है? भारत में 70 से ज्यादा ऐसे स्टार्ट अप चल रहे हैं जो पूरे के पूरे शहर की नि:शुल्क सफाई कर रहे हैं क्योंकि कचरा कंचन है। यह कई शोधों में आ चुका है। उस कचरे की इतनी वैल्थ है। लोग कचरा उठाने के भी पैसे देते हैं कि हम आपके घर से कचरा लेकर जायेंगे और उसके पैसे भी देते हैं क्योंकि लोग इस काम के लिए तैयार हैं। इसलिए यदि हम इसको जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड करिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, कचरे का निस्तारण के साथ-साथ उपलब्ध करवाना, सबसे बड़ा मैंने जो कहा कि इसका सेग्रिगेशन पार्ट जो एक बायोलैण्ड डवलप हो रही है, मेडिकल सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जिस प्रकार का कचरा फैल रहा है, वह सबको मालूम है। कोरोनाकाल में

(श्री अशोक लाहोटी)

बहुत सारे हमारे ऊपर संकट रहे, लेकिन एक चीज हम सबने नोट की होगी कि कोरोना के काल में एक ब्लेसिंग-इन-डिसगाइज हुआ कि हर व्यक्ति स्वच्छता के बारे में सोचने लगा। चाहे वह संक्रमण के डर से ही बार-बार हाथ धोने लगा, साफ-सफाई रखने लगा इसलिए मैं सदन में कहूंगा कि स्वच्छता को केवल जीवन का हिस्सा ही नहीं मानें। मां लक्ष्मीजी भी वहीं विराजती है, जहां स्वच्छता रहती है। दीपावली का त्योहार ले लो। पूरी दुनिया में लोग एक काम कॉमन करते हैं और वह है साफ-सफाई, क्योंकि जहां स्वच्छता होगी वहीं लक्ष्मी का वास होगा इसलिए हमें अपने जीवन में स्वच्छता के लिए मैं मांग करता हूं कि सरकार इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर दे। इसके लिए कोई खर्चे की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, यदि हम ट्यूर स्टडी करें तो आज गोवा ने भारत के सबसे लेटेस्ट एक मॉडल बनाया है जिसमें कचरे का सम्पूर्ण निस्तारण होता है और उसी के अन्दर वहां म्युनिसिपल कारपोरेशन का आफिस है। क्यों किया उन्होंने, वहां की सरकार ने पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों के ट्यूर बना कर जगह-जगह की बेस्ट प्रेक्टिस को अवार्ड किया और मात्र 170 करोड़ रुपये में आज गोवा दुनिया का सबसे बेस्ट कचरा निस्तारण का केन्द्र बन गया। यह हमको भी सीखना पड़ेगा। हमको भी यहां पर यह लागू करनी पड़ेगी।

अन्त में, सभापति महोदय, मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा कि चाहे टूरिज्म हो, चाहे इण्डस्ट्री हो, हमारी जीडीपी ग्रोथ में यदि हमने स्वच्छता को इन सबके साथ जोड़ दिया तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि हमारी जीडीपी ग्रोथ में अभूतपूर्व परिवर्तन आयेगा और हमारे राजस्थान की जीडीपी जो लोन पर चल रही है, जो घाटे पर चल रही है, उसको निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी और हम स्वावलम्बन बनेंगे।

अन्त में, सभापति महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि राजस्थान में अभी एक अच्छा शोध हुआ है 86 दिन में 309 मीट्रिक टन ही कबाड़ बाहर आया है। यह पहली बार राजस्थान में हुआ है। राजस्थान के पोल्युशन डिपार्टमेंट ने अभी किया है इसलिए मैं पोल्युशन डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूं कि केवल 309 मीट्रिक टन कचरा राजस्थान में इन्हीं दिनों में आया है। अन्त में, केवल दो शब्द कहकर अपनी बात पूरी करूंगा कि-

"यदि निकलें सफाई करने, संकल्प कड़ा मानें हम

(श्री अशोक लाहोटी)

कचरा उठाने की शर्मिन्दगी से, देश बड़ा मानें हम
निकल पड़ा था दांडी तक जो, वापस वही उमंग चलें
गली-गली से बच्चा-बच्चा, हाथ मिलाकर साथ चलें
साफ हिन्द की चाह में, हर समय पर कलम चले
और भारत स्वच्छ बनाने हेतु, कदम मिलाकर हम चलें
भारत स्वच्छ बनाने हेतु, कदम मिलाकर हम चलें।"

बहुत-बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय श्री कटारिया साहब।

सूचना

बलजीत यादव, श्री माननीय सदस्य, द्वारा अपनी मांगों के क्रम में जारी विरोध प्रदर्शन से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री बलजीत यादव सूर्योदय से ही लगातार सेन्ट्रल पार्क में काले कपड़े पहन करके दौड़ रहे हैं, सीकर की जिस यूनिवर्सिटी के मसले पर बिल विथड्रा हुआ था, उसमें कार्यवाही की मांग और अपने दूसरे मुद्दों को लेकर। मुझे उनके स्वास्थ्य की चिन्ता है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि उनका दौड़ना रुकवायें, नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो जायेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या अभी तक नहीं हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने सही चिन्ता व्यक्त की है। मैं खुद जाकर आया था। पसीने से लथपथ हैं। उस नौजवान के कुछ हो जायेगा तो यह सदन भी कलंकित इसलिए हो जायेगा कि यहां घोषणा करके गये थे। मैंने हाथ जोड़ कर सदन के नेता से भी कहा था इसलिए आप व्यवस्था करें, कोई जाकर उनको रोकें। उनकी हालत बहुत खराब है इस वक्त। वह हांफ रहे हैं और जगह-जगह गिर रहे हैं वह।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): कैसे भी करके रुकवाओ साहब।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, आज सुबह स्पीकर साहब के वेश्म में माननीय सीएम साहब और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद थे। अध्यक्षजी का आदेश था, माननीय महेश जोशीजी, मैं और अभिनेश महर्षिजी जाकर आये थे, उनसे रिक्वेस्ट भी करके आये हैं कि उनकी बात को सरकार गम्भीरता से ले रही है। उनके कार्यकर्ताओं को भी कहा गया है कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हम लोग मिलकर आये हैं। वह स्वस्थ हैं बिलकुल।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, मेरा वैसे थोड़ा सा कठोर ...(व्यवधान)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): यह चार घंटे पहले जाकर आये थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा आपसे इतना निवेदन है कि समझाइश से अगर वह नहीं बैठते हैं तो हमको पुलिस की मदद लेकर भी उनको बचाना चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जैसा अभी माननीय उप मुख्य सचेतक साहब ने बताया, हम लोग वहां गये। निर्देश आपकी तरफ से भी थे, माननीय मुख्य मंत्रीजी की और माननीय अध्यक्ष महोदय जी की तरफ से भी निर्देश थे। मैंने आपको और राजेन्द्र जी राठौड़ जी का, चारों का उनसे नाम लिया। स्थिति यह थी कि मैं खुद जमीन पर उनको रोकने के लिए बैठ गया। हमने उनसे बहुत आग्रह किया, फिर उन्होंने यह वादा किया मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाकर कि मेरी तबीयत खराब हो गयी तो मैं वहीं रूक जाऊंगा। उसके बावजूद जैसा माननीय नेता, प्रतिपक्ष कह रहे हैं, मैंने पुलिस कमिश्नर को वहां इस बात के लिए जिम्मेदारी दे रखी है कि आप लगातार इस बात की मोनिटरिंग करें। वहां पर साथ में डाक्टर हैं, क्योंकि वह रूक नहीं रहे हैं। कभी चल लेते हैं, कभी दौड़ लेते हैं, उनका बी.पी. वगैरह भी लिया जा चुका है, उनकी मेडिकल देख-रेख चल रही है। जबर्दस्ती करना ऐसा उचित नहीं लगता कि जाकर हम अरेस्ट कर लें, लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पूरी सरकार चिन्तित है, माननीय मुख्य मंत्रीजी और पूरी विधान सभा चिन्तित है। अभी संयम जी ने मामला उठाया। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि इस बारे में हम पूरी निगरानी रख रहे हैं और उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री गुलाब चन्द जी कटारिया, संकल्प जो उन्होंने लिया, उस पर बोलें।

गैर सरकारी संकल्प

यह सदन संकल्प करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता के सम्बन्ध में जागरूक किया जाये तथा राज्य सरकार प्रदेश के स्कूलों में इसे पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, लाहोटी जी ने जो अपना संकल्प रखा, उसमें मैंने एक संशोधन दिया है। वह संशोधन इतना ही है कि प्रथम पंक्ति के प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'प्रत्येक व्यक्ति के पश्चात् स्वच्छता' के पूर्व अभिव्यक्ति 'गांव और शहर' ये दो शब्द जोड़ लिया जाए, क्योंकि यह जो स्वच्छता का अभियान है, वह एक तरह से हमको गांव को भी केन्द्रित करके रखना चाहिए। प्रधान मंत्रीजी की ओ.डी.एफ. करने की जो एक मुहिम चली है, उसमें अधिकांश गांव और अधिकांश पंचायत समितियां ओ.डी.एफ. तो घोषित हो गयीं, इसमें कोई दोराय नहीं, लेकिन ओ.डी.एफ. क्रियान्विति नहीं होती है, उसका कारण है। कारण यह कि गांवों में पानी की व्यवस्था नहीं है और यह जिस प्रकार से शौचालय आपने बनाये हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, नेता, प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, आप कृपया सुनिए। अपनी सीट पर बैठें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जिस प्रकार ओ.डी.एफ. के लिए हमने प्रत्येक परिवार में शौचालय बना दिया, 12 हजार रुपये देकर, कुछ उसने मिलाया, लेकिन वह चालू नहीं रह सकता, क्योंकि उसके लिए जो पानी की उपलब्धता चाहिए, वह गांव में हर घर में न तो टैप है, न कनेक्शन है, न वहां कोई हर घर में ट्यूबवैल खुदा हुआ है, तो मैं सोचता हूं इस योजना के साथ सरकार को सोचना चाहिए कि इस ओ.डी.एफ. को परफेक्टली चलाने के लिए अगर हम टांके बनाने की ओर पंचायतों को आग्रहपूर्वक, हर व्यक्ति अपने घर में कम से कम बारिश के समय एक टांका बना दे, ताकि उसके यहां इतना पानी एकत्र हो जाए कि वह उस शौचालय को ठीक प्रकार से चला सके।

दूसरा, गांव के अन्दर सफाई की सबसे बड़ी जो तकलीफ आती है, वह जो पुरानी बावड़ियां हैं, जो पुराने जल स्रोत हैं या छोटे-मोटे जो तालाब हैं, छोटी-मोटी जो नाड़ियां हैं, उनकी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं होती। मैं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सोचता हूं सबसे बड़ा उस गांव की गन्दगी का कारण यह जो पानी के पुराने सोर्स थे, इन सोर्सेज का ठीक प्रकार से सफाई अभियान किसी-न-किसी तरह से पंचायत के साथ जोड़ना चाहिए। हमने गांवों के अन्दर सड़कें बनाई हैं, कुछ हमने सीमेंटेड रोड बनाई हैं, लेकिन मैं सोचता हूं, एक प्रोजेक्ट के रूप में हम लेवें कि प्रत्येक गांव में और कुछ बना सको या न बना सको, कम से कम गांव के पानी की नालियां जरूर बन जाए और वह इतनी गहरी नहीं बने कि उनको साफ करना मुश्किल हो। लेकिन, कम-से-कम जो पानी बहता है या घरों से निकलता है, वह ठीक तरह से, ठीक जगह जाकर एकत्र हो जाए। ऐसे कुछ मामलों में, जैसे शहर और गांव हैं, मैंने शब्द इतना ही जोड़ा है कि यह स्वच्छता का अभियान लोगों के मन पर चढ़ा है। स्वच्छता के कारण से आज हमको लगता है कि हम आज अगर रेलवे स्टेशन पर खड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे घर का भी आँगन इतना साफ नहीं है, जितना रेलवे स्टेशन का आँगन साफ मिलता है, तो लोगों की रुचि बढ़ी है।

यहां तक कि मेरा उदयपुर तो झीलों की नगरी है, अब कभी भी कोई व्यक्ति अगर कुछ खाकर फेंकता भी है न, तो पीछे वाला व्यक्ति उसको उठाकर कूड़ेदान तक पहुंचाता है। इतना अब धीरे-धीरे वहां जागृति आने लगी है। मैं चाहता हूं कि इसको परफेक्ट बनाने की दृष्टि से, चाहे गांव हो या शहर हो, इस स्वच्छता के अभियान को गति मिली है। इस गति में हम सब लोग सहयोगी बनकर कैसे इसको आगे पहुंचा सकते हैं और गांव के पास कोई फण्ड नहीं होता है। उनके पास न तो कोई सफाई कर्मचारी होता है, शहरों की नगरपालिकाओं के पास तो छोटा-मोटा साधन भी होता है, पर उनके पास कोई साधन नहीं होता है। मैं सोचता हूं जो हम मदद करते हैं पंचायतों को, उसमें से भी कुछ न कुछ फण्ड निश्चित रूप से गांव की सप्ताह में एक बार भी सफाई हो जाए तो भी गांव के अन्दर सफाई रह सकती है। इन कुछ बातों के ऊपर जरूर ध्यान दिया जाए ताकि यह स्वच्छता का जो संकल्प लेकर लाहोटी जी आए हैं, यह आपकी और हमारी सबकी भावना भी है, यह संकल्प वास्तव में धरती पर हम ठीक प्रकार से उतार सकें, उसके लिए सरकार जो-जो प्रयत्न कर सकती है, जिस प्रकार से कर सकती है, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट मैं भी इस प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति: आप इस प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): स्वच्छता पर मैं भी बोलना चाहता हूं सर। स्वच्छता पर प्रोब्लम क्या है कि प्लास्टिक...(व्यवधान)

श्री सभापति: पहले यह था कि आप यहां थे नहीं। (व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सांगानेर से आने वाले विधायक महोदय ने बात कही प्लास्टिक की। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज होल्ड आन। पहले बिहारीलाल जी का संशोधन प्रस्ताव है, पहले ऐसा लगा था कि यह बैठे नहीं हैं। अब चूंकि यह आ गये हैं तो पहले यह बोलेंगे।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, अशोक लाहोटी जी ने स्वच्छता के ऊपर सदन में जो संकल्प रखा है, निश्चित तौर पर नेता, प्रतिपक्ष ने जो कहा, महात्मा गांधी के बाद, स्वच्छता के प्रति जो बापू का आग्रह था, उसके लम्बे कालखण्ड के बाद देश के वर्तमान प्रधान मंत्री इस संकल्प को जनमानस के बीच में लाए और उसके बाद जैसा आज हिन्दुस्तान के परिवेश में हम देख रहे हैं कि स्वच्छता के प्रति प्रत्येक आम आदमी के मन में एक आग्रह पैदा हुआ है। कोई गलती करता है तो दूसरा उसको सुधारने की कोशिश करता है। इसमें मेरा संशोधन है, माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक ग्राम पंचायत के मुख्य कार्यों में भी इसे प्रमुखता से शामिल किया जाए। शहर की बात लाहोटी जी ने विस्तार से रखी। गांवों में भी स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो देश के प्रधान मंत्रीजी ने चलाया, उसमें गांवों के लिए भी एस.एल.आर.डब्ल्यू.एम. (सोलिड लिक्विड रिजिड वेस्ट मैनेजमेंट) का एक अभियान, एक योजना चलती है, माननीय सभापति महोदय, जिसमें गांव के तरल और ठोस, दोनों तरह के कचरे के निष्पादन की व्यवस्था है। उसमें जो अंशदान केन्द्र और राज्य का है, वह 70:30 का है। 70 प्रतिशत में भी जो रेशो केन्द्र का है 60 प्रतिशत, स्टेट का 40 प्रतिशत और बचा हुआ 30 प्रतिशत पंचायत के अपने एफर्ट्स से खर्च करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, इसमें एक प्रेक्टिकल जो अड़चन आती है गांवों में, क्योंकि गांव वहां बसते थे, जहां पानी नजदीक था। जहां कुएं और बावड़ी थे, वहां पर गांवों की बसावट हुई है। आबादी भूमि बढ़ी नहीं और आबादी का विस्तार लगातार हुआ तो उन जोहड़-पायतन की जगहों पर भी आबादी का विस्तार हुआ और लोग बसते चले गये। अब थोड़ी-सी भी बरसात होती है तो नीचे की ढलान के एरिये

(श्री बिहारीलाल)

में लोग बसे हैं, वहां पानी भर जाता है तो सोखते गड्ढ़े जैसे इस अभियान से कोई पूरी सफलता नहीं मिलती। जो आर.आर.सी. इसमें स्थापित किया जाता है, उसके लिए स्थान तय करने के लिए आबादी भूमि कहीं है नहीं तो पंचायत के सामने सिर्फ गोचर और अन्य भूमियों का प्रस्ताव ही भेजा जाता है। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग में आकर वह अटक जाता है और वह बरसों तक क्लियर नहीं होता है तो कोई भी योजना फलीभूत नहीं हो पाती। माननीय सभापति महोदय, इन व्यावहारिक समस्याओं और दिक्कतों को दूर किया जाए और गांव को पर्टीकूलर इस सफाई अभियान के लिए भी अलग से बजटीय प्रावधान किया जाए ताकि हमारे गांव भी साफ-सुथरे रह सकें और स्वच्छ भारत मिशन अभियान देश के प्रधान मंत्रीजी का और पूज्य बापू का जो संकल्प था कि हमारे गांव साफ-सुथरे रहें, शहर साफ-सुथरे रहें, यह हमारा राजस्थान प्रदेश, पूरा देश स्वच्छ रहे। इसी बात के साथ मेरा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद आपका।

श्री सभापति: श्री बोहरा जी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर हमारे माननीय सदस्य लाहोटी ने एक बात कही थी कि हमारी गाय माता के पेट में प्लास्टिक अन्दर चला जाता है। आज इश्यू पूरे विश्व में यह है कि हम प्लास्टिक को बन्द नहीं कर सकते। प्लास्टिक हमारे रोजमर्रा की जिन्दगी में आ गया। जिस तरह से इलेक्ट्रोनिक वेस्ट पर गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज की रीसाइकलिंग, मेरा सुझाव है एल.एस.जी.डी. मंत्री साहब यहां बैठे हैं, रीसाइकलिंग के ऊपर भी सरकार कुछ ऐसा कदम उठाये, क्योंकि प्लास्टिक को सिर्फ रीसाइकलिंग रोक सकता है और कोई प्लास्टिक को नहीं रोक पाएगा। हम सब यहां संकल्प लें एल.एस.जी.डी. मंत्रीजी यहां बैठे हैं कि इस बार भी कुछ ऐसा सरकार कर दे कि रीसाइकलिंग के ऊपर किस तरह से प्लास्टिक की रीसाइकलिंग हो सके, उनको अलग-अलग बांटा जाए। एल.डी. को अलग किया जाए, एल.एल.डी. को अलग किया जाए, एस.डी.पी. को अलग किया जाए और अलग-अलग स्लोटिंग करके, क्योंकि आप देखो जो हमारे पास गाड़ियां आती हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है कि प्लास्टिक का वेस्ट डाल दो एक जगह, परन्तु अभी भी यह नहीं हो रहा है। गाडियां आती हैं पर आदमी सब वेस्ट एक जगह ही डाल देता है। इसको न तो हमारी पब्लिक समझ रही है, न हम समझ रहे हैं, न कोई म्युनिसिपैलिटी इस पर एजुकेशन करती है। बीच में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पैसा भी आ रहा

(श्री रोहित बौहरा)

था। उसमें यह था कि म्युनिसिपैलिटीज के लोग घरों में जाकर के जो कचरे वाला वेस्ट है उसको अलग डालेंगे और प्लास्टिक वेस्ट को अलग डालेंगे। वह एक बार शुरू हुआ था। एनजीओज ने जाकर लोगों को शिक्षा देना शुरू किया था। वह बिलकुल बन्द हो गया है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट कहीं न रहे तो रीसाइक्लिंग इज दी ओनली सोल्यूशन।

सभापति महोदय, एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो हमारे सांगानेर से आने वाले विधायक कह रहे थे, उन्होंने सफाई की बात की। हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने भी कहा कि गांवों में सफाई किस तरह से हो। यहां पर पंचायती राज मंत्री जी बैठे हैं। हम इसको नरेगा से डवटेल कर दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यस, यस।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): इसको नरेगा से डवटेल कर दें। हर गांव में वाल्मीकि समाज के लोग हैं। उनको हम एम्प्लायमेंट जनरेशन कर देंगे। इसको नरेगा से डवटेल कर सकते हैं और इसमें कोई बात नहीं है। आप एक बार कोशिश करके देखो तो कम से कम वीक में तीन दिन तो सफाई गांव में भी हो जायेगी। यदि हम गांवों में स्वच्छता चाहते हैं तो, सेन्ट्रल गवर्नमेंट का भी गांवों में स्वच्छता पर काफी फोकस है। यदि हम इसको नरेगा से डवटेल कर दें तो क्या पता कुछ हो जाये। मंत्री जी यदि मेहनत करेंगे तो हो ही जायेगा।

सभापति महोदय, सांगानेर से आने वाले विधायक ने एक चीज और कही, उन्होंने स्वच्छता के साथ टूरिज्म भी जोड़ दिया। यह तो मुझे पहली बार समझ में आया कि स्वच्छता और टूरिज्म एक साथ कैसे चलेगा? माननीय महोदय, स्वच्छता की बात करो फिर टूरिज्म की बात करो। धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। प्लीज। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): दो मिनट सर।

श्री सभापति: इसी संकल्प पर बोलना है क्या आपको?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): स्वच्छता पर।

श्री सभापति: 2 मिनट बोल दीजिये आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, सफाई सभ्यता की प्रतीक होती है। यह जो साफ-सफाई है, इसके बारे में कहा गया है

(श्री मदन दिलावर)

कि जहां स्वच्छता होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। हम देखते हैं कि स्वच्छता केवल सुन्दर देखने के लिए ही नहीं होती है। जहां गन्दगी होती है वहां कार्बन डाइआक्साइड का ज्यादा उत्सर्जन होता है। जहां कार्बन डाइआक्साइड का ज्यादा उत्सर्जन होता है, वहां आक्सीजन की कमी होती है। कार्बन डाइआक्साइड की अधिकता और आक्सीजन की कमी, कार्बन मोनोआक्साइड बनाती है। यह कार्बन मोनाआक्साइड बहुत जहरीली गैस होती है। यह जहरीली गैस मानव जीवन के लिए खतरा है। जब वायुमण्डल में आक्सीजन की कमी होगी और कार्बन डाइआक्साइड की अधिकता होगी तो कार्बन मोनोआक्साइड बहुत ज्यादा घनत्व में हो जायेगी। इससे बीमारियां और बढ़ेंगी। हमें स्वस्थ रहने के लिए और देश का अधिकांश पैसा बीमारियों पर खर्च न हो, इसके लिए भी जरूरी हो गया है कि हम साफ-सफाई रखें।

अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी व्यवस्था की हुई है कि जो हमारा फाइनेन्स कमीशन का पैसा आता है, उसमें कहा गया है कि वन थर्ड पैसा सफाई पर खर्च कर सकते हैं, वन थर्ड पेयजल पर खर्च कर सकते हैं और वन थर्ड निर्माण पर खर्च कर सकते हैं। ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहां कम से कम 10 लाख रुपये प्रति वर्ष नहीं आता हो। वन थर्ड की अगर बात करें तो मिनिमम 3 लाख रुपये होते हैं। 3 लाख रुपये का अर्थ 25 हजार रुपये महीना होता है। 25 हजार रुपये महीने में हम यदि पंचायत की सफाई नहीं करा सकते तो मैं समझता हूं कि यह बहुत गलत बात है।

हम यदि ईमानदारी से चलें और सरकार इस पर पूरा फोर्स करे कि उसका पैसा वहीं ईमानदारी से खर्च करना है और बड़ी अच्छी मानिटरिंग टीम हो तो मैं समझता हूं कि स्वच्छता का जो हम सबका सपना है कि देश स्वच्छ रहे, प्रदेश स्वच्छ रहे, हमारा गांव स्वच्छ रहे और बीमारियां कम से कम हों, लोग बीमार न हों, वायुमण्डल में कार्बन डाइआक्साइड की अधिकता न हो तो यह हो सकता है। कार्बन डाइआक्साइड की अधिकता ने हिमालय तक को जकड़ लिया है। वहां से बर्फ पिघलने लग गयी है और तेज गति से पिघल रही है। यदि यह बर्फ इसी गति से पिघलती रही तो मैं समझता हूं कि एक दिन ऐसा आयेगा कि हिमालय बर्फ मुक्त हो जायेगा। बर्फ मुक्त हिमालय इस जीवन के लिये खतरा है। हम सब लोगों के लिए खतरा है। यदि

(श्री मदन दिलावर)

इस सृष्टि को बचाना है तो स्वच्छता रखना नितान्त आवश्यक है। ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

यह सदन संकल्प करता है कि प्रदेश में सतही जल की कमी व भू-जल के अंधाधुंध दोहन से भू-जल के निरंतर गिरते स्तर से होने वाले संकट से बचाव के लिए भू-जल दोहन पर नियंत्रण व जल संरक्षण हेतु आवश्यक व प्रभावी कदम उठाये जायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आज तो कमाल कर दिया। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पन्द्रहवीं विधान सभा में यह दूसरा अवसर है जब गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, प्राइवेट मैम्बर-डे के माध्यम से सदन के अन्दर किसी भी विषय पर आलोचना नहीं, समालोचना करने के लिए हम सब लोग एकत्र हुए हैं।

यह जो संकल्प हमने रखा, जो संकल्प मैंने रखा कि जिस प्रकार अंधाधुंध भू-जल के दोहन से संकट हमें सामने दिखाई दे रहा है। यह संकल्प कोई मेरा नहीं है। यह संकल्प उन समसामयिक बातों को लेकर है जिस पर पूरे सदन को चिन्ता करनी चाहिए।

सभापति महोदय, 500 साल पहले रहीम जी ने जो बात कही कि 'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। पानी गए न ऊबरै, मोती, मानुष, चून'। उस समय उनके मन में कल्पना थी कि हमारी मानव संस्कृति के लिए, मानव संस्कृति के उद्भव के लिए पानी का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे शास्त्रों में जिन पंचतत्वों की बात कही गयी है, अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश। जिसे कहते हैं कि ब्रह्माण्ड और मानव का शरीर जिससे बना है, उसमें भी जल की महत्ता को बताया है।

सभापति महोदय, आप इतिहास को देखें कि चाहे मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो, चाहे हड़प्पा की सभ्यता हो, जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हुईं, उनका उद्भव वहीं हुआ, जहां पानी था। पानी के साथ हमारी मानव संस्कृति का बहुत बड़ा मेल है। अभी 3 दिन पहले 22 मार्च को पूरी दुनिया ने विश्व जल दिवस मनाया। दुनिया के सभी विकसित और विकासशील देशों ने इस बात की चिन्ता की कि जल नहीं होगा तो कल क्या होगा। इसके साथ ही 10 जून को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विश्व भू-गर्भ जल दिवस मनाया गया। यानी उस दिन दुनिया के लोगों ने चिन्ता की कि भू-गर्भ का इतना दोहन हमें किस ओर ले जायेगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जल ही जीवन है। हमारे जीवन के हर पहलू के साथ यह जुड़ा है। कई सोपान चढ़ने का काम विज्ञान ने किया है। आज चांद तक हम जीवन ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज भी विज्ञान ऐसी कोई फैक्ट्री ईजाद नहीं कर पाया जो जल को बनाये। हमें इसलिए निश्चित रूप से जल संरक्षण की बात कहनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, सदन का ध्यान कैपटाउन, मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जरूर उस शहर में गये होंगे, एक बहुत खूबसूरत साउथ अफ्रीका का शहर, 2018 में वहां पूर्णतया पानी समाप्त हो गया। जब पूर्णतया पानी समाप्त हो गया तो एक नया शब्द 'डे जीरो' आया। वहां के वैज्ञानिकों ने कहा कि अब 'डे जीरो' प्रारम्भ हो गया है। चिन्ता तब हुई, अभी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आयी है, दुनिया के 17 देश, जिसमें हिन्दुस्तान भी है, डे जीरो की ओर बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह संकल्प जो मैंने रखा है उसके मार्फत हम सबको आने वाले समय की आहट को पहचानना चाहिए।

सभापति महोदय, यूएन वर्ल्ड डवलपमेंट रिपोर्ट, 2020-21, इसके अन्दर है कि स्वच्छ जल हर नागरिक का मानवाधिकार है। यह कंसेप्ट दिया गया है। लेकिन इस कंसेप्ट के साथ यह भी दिया गया कि जल की उपलब्धता के साथ उसका दुरुपयोग रोकना भी हर मानव का अधिकार है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्गेनाइजेशन भी इसकी चिन्ता करता है। यूएन की वर्ल्ड डवलपमेंट रिपोर्ट ने इस पानी को क्या कहा, बताऊं मैं आपको, इसको ब्लू गोल्ड कहा। आज वही रिपोर्ट कह रही है कि इस दुनिया में 200 करोड़ लोग शुद्ध पानी से वंचित हैं।

सभापति महोदय, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की जल की उपलब्धता के बारे में जल विकास रिपोर्ट प्रकाशित हुई। हमारे मुल्क की हालत क्या है? 182 देशों में से हम 133वें स्थान पर हैं। आज जब इस भू-गर्भ को लेकर एक सम्मेलन हुआ, उसमें जो रिपोर्ट रखी गयी, वर्ष 2012 को आधार मानकर उन्होंने कहा कि 2012 में हिन्दुस्तान के अन्दर 30 परसेंट भू-जल भण्डार कम हो गया। अगले 20 वर्षों में अगर दोहन की यही रफ्तार रही तो हिन्दुस्तान में वह दिन आ जायेगा, जब भू-जल भण्डार लगभग समाप्ति की ओर हो जायेगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, अभी केन्द्रीय भू-जल बोर्ड की जो रिपोर्ट आयी, उसमें कहा गया कि पिछले एक दशक में भारत के 55 परसेंट कुओं की प्रतिवर्ष वाटर टेबल 1 मीटर गिरती जा रही है। यूनिसेफ की जो रिपोर्ट आयी है, अभी ताजा रिपोर्ट, यह 2019-20 की मेरे पास रिपोर्ट है, उसमें लिखा है कि हिन्दुस्तान में 70 परसेंट पानी प्रदूषित हो गया। 3 दशक पहले जो कुएं थे, मैं मेरे खुद के गांव में जब जाता हूं तो हमारे कहा करते थे कि 50 फीट पर पानी था।

(समय: 16:00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, आज वो 450 फुट पर चला गया और मैं समझता हूं कि ये जो जल है, आज राजस्थान के अन्दर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह विषय ऐसा है जिस पर आज चाहे सरकार कांग्रेस की हो, कल बीजेपी की हो, समग्र रूप से समस्या खड़ी रहेगी। माननीय सभापति महोदय, इसीलिए हम इस संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए समालोचना का समय है। आज राजस्थान के अन्दर 237 जो वाटर खण्ड बना रखे हैं उनमें से 31 ग्रे जोन में बचे हैं। माननीय सभापति महोदय, आज बहुत बड़ी आवश्यकता है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से ज्यादा है और पानी 1.17 प्रतिशत और पूरे देश के भू-जल का मात्र 3.5 प्रतिशत है। माननीय सभापति महोदय, यह साइंटिफिक स्टडी मेरी नहीं है, मैं केन्द्रीय भू-जल बोर्ड की साइट को देख रहा था, वहां की है।

माननीय सभापति महोदय, आप तो शेखावाटी से आते हैं। परम्परागत रूप से हमारे पुराने जल स्रोत गांव में कुआं है, गांव में बावड़ी है, गांव में सार्वजनिक कुण्ड है। आपको याद होगा कि ये पणिहारण का जो रूप देख रहे हैं माननीय मंत्री महोदय, वो उस समय एक तरह से पानी का महत्व था, घर से महिलाएं पानी लेने निकलती थीं तो सज-धज कर निकलती थीं, परन्तु आज हालत खराब हो गयी है।

माननीय सभापति महोदय, इन सार्वजनिक जोहड़ का, सार्वजनिक तालाबों का कैचमेंट एरिया पहले एक तिनका तोड़ते थे, मुझे याद आ रहा है, मेरे गांव के अन्दर तिनका तोड़ लिया, अगर किसी ने गलती से कोई शौच कर लिया, पूरा गांव इकट्ठा होकर दण्ड लगाता था, पर आज कब्जे का शिकार हो गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं बात करूं, हमारे छोटे तालाब कम होते जा रहे हैं। 1947 में हमारे देश के अन्दर हमारी जनसंख्या जब 36 करोड़ थी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तो 24 लाख तालाब थे, आज हमारी जनसंख्या 135 करोड़ हो गयी तो 5 लाख तालाब बचे हैं। यानी धरती के सीने को चीरकर हम 72 परसेंट पानी निकालते हैं पर वापस नहीं डालते हैं। माननीय सभापति महोदय, यह तो बैंक है, बैंक से ओवरड्राफ्ट कितने दिन चलेगा? मैं समझता हूं कि प्रकृति से छेड़छाड़ हमें कहां ले जाकर छोड़गी, इस पर निश्चित तौर पर चिन्ता करनी चाहिए। अभी माननीय सदस्य दिलावर साहब ने, मैं बधाई देना चाहूंगा कि आज उन्होंने बड़ा लीक से हटकर भाषण दिया। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की बात कही। माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर पर यह सबसे बड़ी चिन्ता है। आज अपने हिन्दुस्तान की अगर मैं बात करूं, दुनिया की 18 परसेंट आबादी हमारे यहां है, पर दुनिया का पानी सिर्फ 4 परसेंट है और यह 4 परसेंट पानी भी 65 प्रतिशत भू-जल पर निर्भर है।

माननीय सभापति महोदय, एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, मेन यूनिवर्सिटी की स्टडी है, ये जो माउंट एवरेस्ट है उसके ऊपर, इसके जिक्र में इन्होंने कहा कि साउथ पोल ग्लेशियर, ये ग्लेशियर 2000 वर्षों से दुनिया में जल का स्रोत बना हुआ है। माननीय सभापति महोदय, यह पिछले 30 वर्षों में, मैं यह हवा में बात नहीं कर रहा, इसकी स्टडी मेन अमेरिकन यूनिवर्सिटी थी उसने लिखा है, 30 वर्षों में आधे समाप्त हो गया है। सेंटर आन क्लाइमेट चेंज, इसकी रिपोर्ट में लिखा है कि हिमालय पर जो बर्फ है वो 18.52 परसेंट कम हो गयी। मैं समझता हूं कि अगर इस पर गम्भीरता नहीं रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं मन से कह रहा हूं क्योंकि यह सदन का संकल्प है, मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जन घोषणा पत्र में आपने शामिल किया, जल संवर्धन और जल प्रबन्धन की सुदृढ़ नीति लाने की बात कही, निश्चित तौर पर यह आज की आवश्यकता है। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 8 में लिखा, भू-जल संरक्षण एवं भू-जल के दुरुपयोग रोकने के लिए कानून को प्रभावी बनाने का, निश्चित तौर पर मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, आपने यह भी कहा कि हम डार्क जोन का पुन: सर्वे करवायेंगे, ये तीनों आज राजस्थान के भविष्य को बचाने के लिए बहुत बड़े आवश्यक उपाय हैं। माननीय सभापति महोदय, इसलिए भी आवश्यक है कि डाइनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स आफ राजस्थान, 2020 की रिपोर्ट है, 295 ब्लाक हैं अपने, 203 ब्लाक अति दोहित ब्लाक हो गये, जो कुल ब्लॉक्स का 59 परसेंट है। आज 37 ब्लाक सेफ बचे हैं, 29 ब्लाक सेमी क्रिटिकल हो गये और 23 ब्लाक क्रिटिकल हो गये।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, अभी जो भू-जल की इन ग्रास रिपोर्ट 2020 में लिखा है, राजस्थान में बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगानगर, डूंगरपुर, इन चार को छोड़कर 29 जिले अति दोहित श्रेणी में आ गये। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुझे समय का भी मालूम है। अभी 7 दिसम्बर को सरकार ने बोरिंग खोदने के लिए, पहले आपके यहां डार्क जोन था, खोद ही नहीं सकते थे, एक अनुमति दी, 16.11.2015 के अनुसार भू-जल निकासी से पहले एनओसी लेनी पड़ती थी डार्क जोन में, उसका यह हुआ कि उन्होंने परमिशन तो दी थी कुछ कंडिशन पर उसमें लिख दिया कि कृषि गतिविधियों के लिए भी दे सकते हैं। आज आप शेखावाटी में चले जायें, मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय, यह जब से एनओसी लेनी बन्द हुई है और जब से सोलर एनर्जी आ गयी, जिस तेजी से ये ट्यूबवैल्स के नाम पर धरती का सीना खोदा जा रहा है, निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल हमारे लिए चिन्ता की बात होगी।

माननीय सभापति महोदय, एक दूसरी चीज की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नेशनल रेफरल सेंटर फोर फ्लोराइड पॉयजनिंग, यह सेंटर है, इसकी रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, आज हमारे 33 जिलों में फ्लोराइड ज्यादा है। नागौर में तो 90 पीपीएम, चूरू में 32, श्रीगंगानगर में 28.2, जयपुर में 28.1, यानी खतरनाक स्तर पर है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पानी में फ्लोराइड 1 पीपीएम स्वास्थ्य के लिए मानक माना है। हमारे डब्ल्यूएचओ ने 1.5 पीपीएम माना है। आज आवश्यकता इस बात की है कि नीचे पानी जाता जा रहा है, फ्लोराइड बढ़ता जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आप तो हमारे यहां कलेक्टर रहे हैं, हमारे सरदारशहर के किसी आदमी को पहचानने की जरूरत नहीं है, दूर से ही उसके दाँत बता देंगे कि यह आदमी सरदारशहर से आया है। यह बांका पट्टी आपके इलाके के अन्दर, इसलिए निश्चित तौर पर मैंने इस बात को कहा। माननीय सभापति महोदय, आज डिफ्लोराइडेशन प्लांट सारी जगह लगे हैं, खूब लगे हैं, आपकी सरकार ने लगाये, हमारी सरकार ने लगाये पर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं खुद भी उसी इलाके से आता हूं। डिफ्लोराइडेशन जो प्लांट लगे हैं इनका हम सब लोगों को मिलकर निरीक्षण करना चाहिए। इनकी मेम्ब्रेन नहीं बदली जाती, इनके अन्दर के फिल्टर नहीं बदले जाते, ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, मैं आज जो सुझाव दे रहा हूं, हम सबको, सदन के सभी माननीय सदस्य यदि सब मिलकर यह चालू कर दें तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा हो सकता है। जिस तरह मैंने कहा, मैं समझता हूं कि जब मैं बात करता हूं परम्परागत जल स्रोतों की और मैं जोहड़ को याद करता हूं, गांव के तालाब को याद करता हूं तो हमारे लोक गीत है, पणिहारी जीवला, मिरगा नैणी जीवला, गाती हुई महिलाएं पानी लेने जाया करती थीं। हमारे यहां कहावत है, "घी ढुळै तो कुछ ना लागे, पाणी ढुलै तो जीवड़ो जळै", मतलब आज इस तरह की हालत हो गयी। मैं समझता हूं कि जोहड़ का और सार्वजनिक कुण्ड के कैचमेंट एरिया हैं, इनको हम अपने-अपने इलाके के अन्दर सब लोग संकल्प करें।

माननीय सभापति महोदय, मैंने संकल्प ले रखा है, मैं छोटे से गांव हरपालसर का रहने वाला हूं। मेरे गांव के अन्दर जो जोहड़ है, उस जोहड़ को मैंने मनरेगा में, सबके हाथ जोड़कर, जितना भी वहां अतिक्रमण था उसको हटा दिया और आज उस जोहड़ के अन्दर पानी भी भरता है और लोग उसको देखने भी आते हैं। हम सब लोगों का प्रभाव है, जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं, तो जिस दिन नोमिनेशन फाइल करना होता है तब अपने लोगों को बुलाते हैं, तो इस छोटे से संकल्प के साथ आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमें क्यों नहीं कुछ करना चाहिए, हमें इस पर निश्चित तौर पर सोचना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपको याद होगा, आप जब चूरू में कलेक्टर विराजते थे तो एक अभियान चला था। राजस्थान पत्रिका ने चलाया था, 'अमृत जलम्' आप स्वयं मुझे याद आ रहा है, कड़वासर के रास्ते में जो कुण्ड, आप हमें भी लेकर गये और पूरे दिन मेहनत करके उस कुण्ड के कैचमेंट एरिया को हमने साफ किया। क्या राजस्थान पत्रिका के अमृत जलम् की तर्ज पर हम विधायक लोग अपने-अपने क्षेत्र में कोई ऐसा अभियान नहीं चला सकते? निश्चित तौर पर अगर हम यह नहीं करेंगे तो मेरी तो अपील है कि हम सब लोग, आज जो 200 लोग बैठे हैं, हम 200 लोग ही प्रण कर लें, ज्यादा नहीं, अपने गांव के एक स्ट्रक्चर को जो पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसकी साफ-सफाई और उसके कैचमेंट एरिया को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए कुछ करें तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ अच्छा हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपको याद होगा, रामगढ़ की जो हालत है, कौन दोषी है इसके लिए? हाई कोर्ट के एक के बाद एक आदेश आते रहे,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पत्रिका ने मुहिम चलायी, 1982 में यहां एशियाड हो गया। अगर हम सब लोग सोच लें कि हमें रामगढ़ जैसे बांधों को पुनर्जीवित करना है, आज वहां पर छोटे -छोटे एनिकट बन गये, कुछ मैंने मंजूर कराये, कुछ आपने मंजूर कराये, कैचमेंट एरिया के अन्दर आकर बसने लगे तो कुछ हमने नहीं रोका, कुछ को आपने नहीं रोका। कुछ मामलों के अन्दर होगा, बुराई भी होगी। मुझे याद आ रहा है, माननीय संसदीय मंत्रीजी को याद होगा, भैरोंसिंहजी शेखावत ने एक बार भू-जल दोहन पर कानून बनाने की बात कही, पूरे राजस्थान में बवाल मच गया कि अब जो कानून लेकर आये हैं, उस समय गांवों में जाते थे तो गांवों में बात करते थे, हमारी भाषा में, अब ठाकर आपणा कुआं पर कब्जो करावगो। मतलब कम से कम होगा जो होगा, कुछ बातों में अपने को बचाव करना है तो हमें कुछ बड़े फैसले करने पड़ेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज हर गांव में एक छोटा तालाब है, उसका अस्तित्व मिट गया, पंचायतों को आपने तालाब दे दिये, आज अगर मैं प्रतिपक्ष के नेता की बात से सहमत हूं, गांव के अन्दर अगर सबसे गन्दी जगह है तो वो जगह है जो प्रकृति ने छोटे तालाब के रूप में या छोटी तलैया के रूप में हमें उपहार में दिया। चूंकि गांव का ढलान के हिसाब से वहां पानी जाता है, हमने वहां गन्दगी डालनी चालू कर दी, उसे desilt नहीं किया, हमें कुछ न कुछ इसके बारे में सोचना चाहिये। मैं आगे बात बढ़ाऊं, उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे जो बांध हैं, 211 बांध तो 250 साल पुराने हैं। वाटर एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि बांध की उम्र 60 वर्ष है। बांधों को desilt नहीं किया। हम नरेगा के साथ इसे क्यों नहीं जोड़ सकते?

सभापति महोदय, अभी बिल्डिंग बाय-लॉज 2010, जिन्हें आपने अमेंड किया मंत्री महोदय 2020 में, 300 वर्ग मीटर से ज्यादा मकानों में आपको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी है। यहां सब लोग बैठे हैं। यहां मैं भी हूं। जब मैं आज आया था तो मेरा मन हुआ, अगर किसी ने खड़े होकर पूछ लिया कि आपके मकान में भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा है क्या, मेरे मकान में वाटर हार्वेस्टिंग तो लगा है, पर उसमें एक बून्द पानी कभी गया ही नहीं।

मैं समझता हूं, यह औपचारिकता जो आप और हम कर रहे हैं कुछ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मामलों में, हमें अपने गिरहबान में खुद झांकना चाहिये और इस काम को आगे बढ़ाना चाहिये। हम जल क्रान्ति को जन क्रान्ति नहीं बनायेंगे तो मैं समझता हूं, काम चलने वाला नहीं है। हमें इस काम को आगे बढ़ाना चाहिये। अभी मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान चला था पिछली सरकार के समय में। उस समय उदयपुर में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति गये। उन्होंने कहा कि यह जो काम है, यह सबसे अच्छा, सबसे बड़ा काम है।

उसमें जो अभियान छेड़ा गया था, वह था ''बरसात के दौड़ते पानी को चलना सिखाएं, चलते पानी को रेंगना सिखाएं और रेंगते पानी को भू-गर्भ में डालना सिखाएं।'' आज आवश्यकता है, छोटे-छोटे check dams, percolation tanks and trenches बनाने की। मैं अपनी बात को समाप्त करूं, उससे पहले अभी अटल भू-जल योजना चली है सात राज्यों में। राजस्थान भी उस योजना का एक हिस्सा है। राजस्थान को 1,179 करोड़ रुपये अलाट भी हुए हैं।

हमारे 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 50 परसेंट भारत सरकार और 50 परसेंट पैसा राजस्थान सरकार का। ऐसे अभियान के साथ हम सब लोग जुड़ें। उसका मकसद एक ही है कि आज भू-जल स्तर जो नीचे गिरता जा रहा है, भू-जल संवर्धन के लिये, उसके बेहतर प्रबन्धन के लिये सारा पैसा लगेगा। हम सब लोगों को इसके बारे में आपस में सदन की एक छोटी-सी कमेटी बनाकर बात करके इसकी ओर आगे बढ़ना चाहिये। हमें निश्चित तौर पर यह काम करना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूं, इससे पहले मैं तो अपनी इस बात को सार्थक मानूंगा और आज नहीं तो कल, जिस तरह कुछ लोग कहते हैं कि पानी को लेकर विश्व युद्ध होगा, मैं उस बात को तो नहीं मानता, पर बड़े-बड़े केपटाउन जैसे शहर उजड़ गये तो हमारी तो बिसात ही क्या है! आज जयपुर में चले जाएं, एक 17-18 माले की बड़ी हाईराइज बिल्डिंग ऊंची खड़ी हो गयी। पूछते हैं कि नीचे क्यों खड़े हैं तो कहते हैं, टैंकर आयेगा, उससे उसमें पानी डालेंगे और फिर उस पानी को हम ऊपर पम्प करेंगे।

इस तरह के भयावह हालात में यह जो संकल्प हमने प्रस्तुत किया है, यह सदन का संकल्प हो, राजस्थान की अवाम का संकल्प हो। हम सब लोग

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मिलकर जल क्रान्ति को जन क्रान्ति बनाएं। मैंने इसीलिये मेरा संकल्प प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं, सदन को इस पर सहमति देनी चाहिये।

श्री सभापति: बहुत अच्छा मौका है। माननीय मंत्री महोदय और सदन के सभी माननीय सदस्य, जो मैं महसूस कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय और बिजनस एडवाइजरी कमेटी का हमें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिये कि इतने अच्छे संकल्प आज इस सदन में डिस्कस हो रहे हैं। कितना अच्छा होता कि आज हमारे सभी सदस्य इस मौके पर मौजूद होते।

बहुत शोध के साथ, रिसर्च के साथ, नेट पर सर्च करके, विभिन्न सोर्सेज को काम में लेकर, जैसे कोई रिसर्च स्कालर अपना पेपर प्रस्तुत करता है, उस तरह के संकल्प हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रस्तुतीकरण सभी माननीय सदस्यगण कर रहे हैं। अब माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ के इस संकल्प पर श्री अभिनेश महर्षि संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सभापति महोदय, धन्यवाद। आपकी टिप्पणी पर मुझे बहुत खुशी हुई और आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे सदन में कोई सार्थक चर्चा हो रही है जिसका कोई परिणाम भी निकलेगा। जो संकल्प हम लेकर आये हैं, उस पर न केवल सदन और सरकार विचार करेगी, बल्कि हम सब लोग उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे।

जल ही जीवन है, हम सब जानते हैं। सब कहते हैं कि विश्व युद्ध होगा। राजेन्द्र राठौड़ साहब नहीं मानते, लेकिन मैं यह कहता हूं, विश्व युद्ध का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पानी के लिये आज भी, मैं गांव का रहने वाला हूं, गांवों में भी पानी के लिये लड़ाई हो जाती है। पानी आज भी किलोमीटर दूर से महिलाएं लेकर आती हैं। एक माननीय सदस्य ने इसी सदन में टिप्पणी की थी कि महिलाएं पानी लेकर आती हैं तो इण्डूली से बाल उड़ जाते हैं। आज हालात इतने खराब हैं।

लोगों को शुद्ध जल मिले, इस बात का संकल्प आज हमें लेना है। उसके लिये जितना दूषित पानी है, सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस दूषित पानी को किस तरह से शुद्ध किया जाये, चाहे उसके लिये कानून बनाया जाये या अभियान चलाया जाये। मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के लिये जो संशोधन लगाया है, उसमें जो परम्परागत और पारम्परिक पद्धति के जोहड़ और सार्वजनिक कुण्डों के संरक्षण की बात की है।

(श्री अभिनेश महर्षि)

माननीय सभापति महोदय, आप तो वहां कलेक्टर रहे हैं, चूरू में एक परमाणा ताल है। परमाणा ताल शुरू से जोहड़ पायतन में था। वहां पर गांव का पानी आकर इकट्ठा होता था। वह पानी आगे चला जाता था और शहर भी डूबने से बच जाता था। जब तक वह शुद्ध था, लोग उस जोहड़ से पीने का पानी भी काम में लेते थे। दुर्भाग्य से भू-माफियाओं ने उस पर कब्जा कर लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि शहर डूबने लग गया।

मुद्दे की बात पर मैं आता हूं। जितने भी ये परम्परागत सोर्सेज हैं इनके संरक्षण की अत्यन्त आवश्यकता है। जब तक हम उनका संरक्षण नहीं करेंगे, अभी चूरू से आने वाले हमारे माननीय उप-नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ जी ने कहा कि कैचमेंट एरिया खतम हो गया, चाहे उनके ऊपर कब्जे हो गये हों, चाहे अन्य किसी तरह से, लेकिन जितने भी हमारे परम्परागत स्रोत जोहड़ पायतन, वे खतम होने के कारण वहां पर पानी इकट्ठा नहीं होता है।

कहीं पर यदि पानी इकट्ठा भी होता है तो अब जितने भी कुण्ड बने हुए हैं, यह वैसे बहुत गम्भीर है, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गये वे कुण्ड। उन कुण्डों में जो पानी आता है, वह पता नहीं कहां चला जाता है? उन कुण्डों में ठहरता ही नहीं है। पैसा बर्बाद हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनकी कोई प्रभावी मॉनिटरिंग यदि हम नहीं कर पायेंगे तो इस जल का संरक्षण नहीं कर पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, 70 परसेंट पानी लोग दूषित पीते हैं। लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? मैं कहना चाहता हूं कि इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जितना पानी है, जल स्तर नीचे जा रहा है, जल स्तर को हम रोक तो नहीं सकते हैं। लोगों की मांग के आधार पर हमें लोगों को इजाजत देनी पड़ती है। डार्क जोन में भी हमने इजाजत दे दी है। जहां पर सिंचाई का कार्य होता है, वहां सोलर के कारण आज-कल हर व्यक्ति ट्यूबवैल खोदता है।

पानी इतना नीचे चला गया, मेरे यहां चाहे लाछड़सर चले जाएं, परसनेऊ चले जाएं, वहां पर इतना बढ़िया पानी था, आज वहां कुएं सूख गये हैं। पानी के अभाव में वहां किसानों का सब-कुछ लुटता जा रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। वाटर हार्वेस्टिंग की बात अभी की गयी। माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ जब बोल जाते हैं, हम सोचते हैं कि इनके बाद जब बोलेंगे तो कोई

(श्री अभिनेश महर्षि)

पाइंट तो बोलने के लिये बच जायेगा, लेकिन जैसा अभी-अभी आपने कहा, ये तो पूरी शोध और रिसर्च करके आते हैं।

उसके बाद में चाहे कुछ बोल दें, आप अपने तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन बात तो वही है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिये एक कानून बना दिया कि 300 गज से ऊपर करना पड़ेगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक भी ऐसा नहीं होगा, जिसके यहां वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम होते हुए भी प्रभावी हो। वाटर हार्वेस्टिंग प्रभावी हो, उसके लिये कानून बना दें कि यदि वह नहीं करेगा तो उसके ऊपर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

मैं एक निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि जन घोषणा पत्र में जल के लिये जितनी भी घोषणाएं की गयी हैं, उन सबको मूर्त रूप देने के लिये सरकार से प्रार्थना करता हूं। मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना, जो कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलायी थी, वह दम तोड़ती हुई सी नजर आ रही है। मैं आज इस संकल्प के माध्यम से हमारे सभी 200 विधायक साथियों से निवेदन करता हूं कि वे इस बात का संकल्प लें कि इस जल के कारण कम से कम राजस्थान में तो आने वाले समय में युद्ध जैसी स्थिति न बन जाये। आम लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिले, इसके लिये जितने भी हमारे परम्परागत स्रोत हैं, चाहे कैचमेंट एरिया पर से कब्जा हटवाएं, चाहे भू-माफियाओं के द्वारा किये गये कब्जों को खाली करवाएं, इसके लिये प्रयास करें। माननीय सभापति महोदय, अन्त में, मेरा भी एक संकल्प है कि जब तक इस सदन में, इस विधान सभा में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगेगी, तब तक कुछ भी बोलूंगा तो अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाने की मांग जरूर करूंगा। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: एक मैं निवेदन कर रहा हूं। इसमें सिस्टम क्या है कि जैसे श्री राजेन्द्र जी राठौड़ ने अपना संकल्प प्रस्तुत किया, उसके बाद में जो माननीय सदस्य आप लोग बोल रहे हैं, उसमें जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या समथिंग हैज बीन एडेड, तो वह आपका संशोधन प्रस्ताव के रूप में हो। जैसे माननीय कटारिया साहब ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया और फिर बहुत शोर्ट में अपने विचार रखे। यही सिस्टम है इन संकल्पों में। श्री बलवान जी पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, संकल्प संख्या 1/2022

(श्री बलवान पूनियां)

की चतुर्थ पंक्ति में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "के लिए" के पश्चात् एवं "भू-जल" के पूर्व अभिव्यक्ति "वर्षा जल को सहेजने," अन्त:स्थापित किया जाये।

मैं माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब की इस बात को रिपीट नहीं करूंगा पर आगे जरूर बढ़ाऊंगा। जिस तरीके से पीने के पानी का संकट है और भू-जल संरक्षण और सहेजने की बात है उसमें सभापति महोदय, गांवों में पुराने जितने भी घर हैं उन घरों में अगर किसी का आंगन छोटा है या अगर उसके कोई दूसरा पायतन कुण्ड बनाने के लिए, टांका बनाने के लिए नहीं है तो उन्होंने मुख्य बैठक में कुण्ड बनाये हुए थे। मैं इन्हीं के जिले का पुराना बाशिन्दा हूं। जब भादरा से राजगढ़ शादी में जाते थे तो खारे पानी से हाथ धुलाते थे और मीठा पानी पिलाते थे। सब घरों में अन्दर कुण्ड था और एक-एक साल, मतलब एक साल घर का कुण्ड, 6-6 महीने उस कुण्ड का पानी खतम नहीं होता था पर आज वह संस्कृति खतम हो गयी। अभी एक साथी ने बात उठायी है जो अभिनेश जी कह रहे हैं कि लम्बे-लम्बे अभियान चले, क्लस्टर के अभियान चले, खेतों में कुण्ड बनें। पिछली बार जल स्वावलम्बन योजना में खेतों में कुण्ड बने, उन कुण्डों में पानी नहीं रुकने से आज संकट हो गया है। लोग ढाणियों में बस गये। अभी थोड़े दिन पहले एक आदमी आया कि मेरी ढाणी में पाइप लाइन दो। मैं उसकी ढाणी में गया तो वहां इतना बड़ा कुण्ड बना हुआ था कि उसने साढ़े चार लाख रुपये क्लस्टर में उस कुण्ड का पायतन में निर्माण कराया था। अगर वह सही होता तो आज वह उस ढाणी में कनेक्शन नहीं मांगता, एक साल तक पानी चल सकता था उससे।

सभापति महोदय, मैं इस बात को संक्षेप में रखूंगा। दूसरी बात यह है कि घग्घर नदी का पानी 1985 में अन्तरराज्यीय जल समझौते के अनुसार हरियाणा के ओटू में रोक लिया गया। समझौता हो गया और रोका तो पिछली जो लास्ट चौटाला साहब की सरकार थी उसने रोका। हमारा बहुत बड़ा हिस्सा वहां रुक जाता है। उन्होंने क्या किया कि सारे जो उनके बारानी गांव थे या जहां छोटी वितरिकाएं थीं तो उन्होंने कच्ची नहरें निकालीं, जिससे उन कच्ची नहरों के टोटल गांवों की जमीन रिचार्ज हो गयी और आज वहां धान पैदा हो रहा है। वही घग्घर फ्लड हमारे हनुमानगढ़ में आता है और हनुमानगढ़ से सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान चला जाता है। सभापति महोदय, जो राठौड़ साहब कह रहे थे कि पानी को चलना सिखाओ। हम अगर उस पानी को

(श्री बलवान पूनियां)

चलना सिखायें तो हम वही पानी सरदारशहर, रतनगढ़, चूरू की उसी घग्घर के सिर्फ एक महीने के पानी से क्यों एक-डेढ़ महीने घग्घर में पानी आता है और कई बार ज्यादा बरसात हो तो दो-दो महीने तक पानी चलता है, उस पानी से हम पश्चिमी राजस्थान के तीन जिलों में वितरिकाएं निकाल सकते हैं।

सभापति महोदय, जिस तरीके से इस बार राजस्थान की विधान सभा में हर मुद्दे पर बहस हुई और बहस के बाद जो परिणाम आये हैं मैं उम्मीद करता हूं कि अगली विधान सभा में इस मुद्दे पर परिणाम आयें। आज जो संकल्प लिये गये हैं इन संकल्पों से हम आगे बढ़ें। जिस तरीके से मुख्य मंत्री जी जब भी बोलते हैं तो ईस्ट कैनाल की बात करते हैं। अब आपका चम्बल का पानी सहेजने के बाद अगर चम्बल, धौलपुर के हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है, पानी रहता है लेकिन यही स्थिति नीमराना, अलवर की हो गयी और आपके खुद के विधान सभा क्षेत्र में कुएं इतने नीचे चले गये कि पानी नहीं है। आज अलवर में धरना है। अलवर जो पहाड़ियों में बसा हुआ है, जहां छोटे-छोटे एनिकट थे, तालाब थे, कहां गये? आज अलवर में धरना है। मैं सुबह टी.वी. में देख रहा था कि अलवर में महिलाएं दस बजे आ गयीं और पेयजल आज के दिन नहीं है। यह स्थितियां इसलिए हुईं कि हमने पानी पर ध्यान नहीं दिया और ध्यान दिया तथा योजना बनायी तो उसको धरातल पर लागू नहीं किया। इसलिए पूरा सदन यह संकल्प ले कि वर्षा के जल को भी सहेजेंगे, उसको जमीन में डालने का भी काम करेंगे और नदियों के जरिये चाहे घग्घर नदी हो, चाहे चम्बल हो, चाहे यमुना का पानी हो, हमारा जो हिस्सा बनता है उसको लेकर हम हमारे क्षेत्र तक पहुंचाने का काम करेंगे, यह संकल्प आज सदन में लें। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री कटारिया साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, आज इस संकल्प पर चर्चा करते समय सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि अगर हर शुक्रवार के दिन इसी प्रकार से प्राइवेट मेम्बर्स बिल के अवसर पर इस प्रकार की चर्चा हो कि प्रदेश के लिए क्या-क्या चीज आवश्यक हो सकती है और उस पर पक्ष और विपक्ष पोजिटिव होकर बात करने और आगे के भविष्य के रास्ते तय करने का अगर प्रयत्न करें तो शायद हम कुछ समस्याओं को मिल बैठकर एक राय होकर हल करने में आगे बढ़ सकते हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तो अध्यक्ष जी को इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने आज पांच संकल्प पर चर्चा रखी, लेकिन समय की अपनी सीमा है इसलिए शायद उसमें नहीं आ पायेगा पर हर शुक्रवार के दिन का उपयोग निश्चित रूप से विधान सभा में इसी प्रकार के संकल्प जो सामान्यत: यहां के जन-जीवन को प्रभावित करते हैं उन पर विचार करना चाहिए। यह एक अच्छी शुरुआत है। साथ ही, जो माननीय सदस्य हैं उनसे भी विनम्र निवेदन किया जाये कि प्राइवेट मैम्बर्स बिल के दिन वे अगर उपस्थित रहेंगे तो यहां पक्ष-विपक्ष नहीं होगा, यहां विषय के ऊपर सबके विचार आने के बाद आगे बढ़ने का प्रयास होगा तो मैं सोचता हूं कि यह सदन जनता के लिए बहुत कुछ देने की क्षमता में आ जायेगा।

मैंने इसमें जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह संकल्प संख्या 1/2022 के पंचम पंक्ति में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "आवश्यक" के पश्चात् एवं "व" के पूर्व "नीति बनाई जाये" अन्त:स्थापित किया जाये। कारण यह है कि पानी का दोहन तो बहुत हो रहा है लेकिन पानी को वापस रिचार्ज कैसे करोगे, इस पर जब तक आप कोई नीतिगत फैसला नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। यूडीएच मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, आजकल सब शहरों में शौक हो गया कि वाल टू वाल सड़क, गन्दगी कोई देखना नहीं चाहता है तो पानी कहां से रिचार्ज होगा? पानी रिचार्ज का साधन क्या रहेगा? अधिकांश शहरों में आपने स्मार्ट सिटी का कर रखा है और अभी स्मार्ट सिटी में सीमेंटेड रोड दीवार से दीवार बन रही है तो अब पानी अन्दर जायेगा कैसे? अगर पानी अन्दर नहीं जायेगा तो वह शहर 50 साल में मर जायेगा, उसके सारे पेड़-पौधे सूख जायेंगे। कोई आज सूख गया, कोई दो साल बाद, कोई दस साल बाद सूखेगा क्योंकि पक्का बन गया और रिचार्ज होता नहीं। तो मैं सोचता हूं कि इसमें नीतिगत फैसला करना चाहिए कि कम से कम हर दस फीट पर, बीस फीट पर 1x1 का भी चौका छोड़ा जाये जिसमें कम से कम एक पेड़ लगाया जाये और उस जमीन को कच्ची छोड़ा जाये जिसके कारण से कम से कम पानी सीपेज होकर जमीन में प्रवेश करेगा तब जाकर हम ठीक प्रकार से इसको कर पायेंगे।

पंचायती राज मंत्री जी बैठे हैं, मैं इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करता पर एक काम आप कर सकते हो कि हर साल एक पंचायत में पानी का जो भी वहां सोर्स है, चाहे छोटी नाड़ी है, चाहे गांव का तालाब है क्योंकि हमारे बाप-दादाओं ने इतनी अक्ल तो रखी कि बस्ती वहीं बसाई जहां

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पानी की उपलब्धता थी। अगर पानी की उपलब्धता वहां नहीं भी थी तो गांव के लोगों ने श्रमदान करके भी अपने गांव में बहते हुए पानी को किसी न किसी जगह, जहां उसका ढाल ठीक आ रहा था, उस ढाल की जगह उन्होंने छोटी-मोटी नाड़ी बना दी। दुर्भाग्य क्या हुआ कि हमारी इन नाड़ियों पर लोगों ने कब्जा करके या तो उसमें रोड बना दी या उसने मकान बना दिये। ज्यादा नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, 11 हजार से अधिक पंचायतें हैं और अगर हर साल नरेगा में उस पंचायत के एक सोर्स को डवलप करने की दृष्टि से उसको अपनी प्राथमिकता दें ताकि उस गांव का जो भी पानी बहकर आ रहा है वह वहां स्टोर हो जाये और उसके कारण से गांव के अन्दर पानी का जो लेवल है वह अपने आप बढ़ जायेगा।

इसी तरह से मेरा आपसे आग्रह है कि जितने भी लोगों के खेत हैं उन खेत का पानी खेत में कैसे रुके इसके लिए अगर आप टांका बनाने के लिए सहयोग करें, मान लो वह 20x10 का बना सकता है, 10x10 का बना सकता है, जिसके खेत में जितनी पानी की आवक है और उसके अतिरिक्त जो आयेगा वह बहकर आगे चला जाये उसकी कोई चिन्ता नहीं पर कम से कम उतना पानी को उस खेत के लिए स्टोर किया जा सकता है तो उसमें भी जो सहयोग सरकार दे सकती है उसको जरूर देना चाहिए।

दूसरा, जो बन गये वह छोड़िये और बना सकते हैं तो यह जो वाटर हार्वेस्टिंग है, मैं सोचता हूं कि रेगिस्तानी क्षेत्र में कोई ऐसा गांव और बस्ती नहीं थी, कोई ऐसा घर नहीं था जिसके आंगन में एक कुण्ड बना हुआ नहीं था। अगर कभी दो इंच बारिश भी हो गयी तो साल भर का पानी उसमें स्टोर हो जाता था और भगवान की कृपा से यह ऐसा पानी है जिसमें कीड़ा नहीं पड़ता है। उसको यदि साल भर तक भी आप पीने के काम में लें तो भी वह पानी काम आ सकता है। मैं सोचता हूं कि घरों में भी वाटर हार्वेस्टिंग, कम से कम आगे अब कभी भी कोई मकान बने या कोई भी बिल्डिंग बने तो वाटर हार्वेस्टिंग उसके लिये अनिवार्य कैसे करें, मैंने इसमें नीतिगत किया है और यह नीतिगत फैसला आपको करना पड़ेगा कि इस बहते हुए पानी को हम रोककर के, क्योंकि और तो कुछ होगा नहीं, जो जमीन से दोहन हो रहा है वह आप और मैं रोक नहीं सकेंगे, आवश्यकता के अनुसार पानी का दोहन हो रहा है। उसको वापस कैसे भरें, इसके बारे में कोई नीति बनायेंगे तो मैं सोचता हूं कि आने वाले संकट से भी बच जायेंगे।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दूसरा, उस पानी का सही सदुपयोग हम कर पायेंगे, नहीं तो मैं सोचता हूं कि जो पानी बहकर जाता है, वह हमारे सामने से निकल जाता है और जब निकलता है, तब हमको बहुत अच्छा लगता है और दो महीने के बाद जब हमारे कुएं सूखते हैं तो हमारे यहां त्राहि-त्राहि मच जाती है।

मैं सोचता हूं कि किस तरह से यह जो बारिश का पानी है, इसको कितना, कैसे, कहां रोका जा सकता है? उसके ऊपर ध्यान करें। गांवों में भी करें, शहर में भी करें और पानी का जो रिचार्ज है और विशेषकर मेरा आग्रह है, गांवो में भी आजकल जिसे आप विकास पथ कह रहे हैं और जिसको वो पथ कह रहे थे, उनको वॉल टू वाल हमने सीमेन्टेड टेक दिया।

अभी तो आपने एक किलोमीटर बनाया है, गांव दस किलोमीटर में होगा। अगर सारी जमीन को आप सीमेन्ट से ढक दोगे तो फिर आपका पानी रिचार्ज कैसे होगा, पेड़-पौधे खड़े कैसे रहेंगे। अब लोगों ने गन्दगी के नाम से कि मेरे घर के सामने गन्दगी नहीं चाहिये। मैं सोचता हूं जमीन से भी, इस मिट्टी से भी, जो हवा आती है, वह आपके स्वास्थ्य को लाभकारी होती है। हम बचपन में जब मिट्टी में खेलते थे तो मिट्टी एक तरह से कहीं लग जाती थी तो यों-यों करके मिट्टी को यहां डाल देते थे तो हमारा खून रुक जाता था।

मैं सोचता हूं मिट्टी से लोगों का जो एक तरह से ये साफसुथरेपन के कारण लगा है। हमको एक नीतिगत फैसला करके शहरों में हो, चाहे गांवों में हो, पानी को जमीन में उतारने के लिये, जो-जो कदम हो सकते हैं, उसकी नीति बनाकर आगे बढ़ना चाहिये जिससे आने वाले संकट से हम अपने आपको बचा सकें।

श्री सभापति: वैसे भी मानव... सॉरी, प्लीज आप बोलिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, जिस तरीके के सुझाव आये हैं, जो संकल्प रखा गया है, निश्चित तौर पर वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

सवाल यह आता है, जैसा कटारिया साहब ने कहा कि नीति बनाओ। नीतियां सारी बनी हुई हैं, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हुआ है? चाहे सरकार आपकी हो, चाहे सरकार हमारी हो। आज भी बिल्डिंग बायलॉज में यह प्रोविजन है कि अगर आप मकान बनाते हो तो दो पेड़ आपको लगाने

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

पड़ेंगे, कौन लगाता है? तीन सौ वर्गमीटर का अगर आपका मकान है तो वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको लगाना पड़ेगा, लगाता कौन है? किससे इम्प्लीमेंटेशन करवाये? कौन करेगा इन बातों को? कैसे होगा?

मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले में सोजतिया जी एक मिनिस्टर थे। उनके विधान सभा क्षेत्र में शायद 42 या 52 करीब-करीब ग्राम पंचायतें आती थीं। उन्होंने बीस जेसीबी दिलवायी, तीन-तीन ग्राम पंचायतों या दो-दो ग्राम पंचायतों के ऊपर एक जेसीबी दिलवायी और हर जगह तालाब खुदवाये। जो तालाब थे, उनको गहरा करवाया। जो डिस्लिटिंग हो गया, उनको दूर करवाया। इस प्रकार का प्रयास जब तक जनप्रतिनिधि भी जुड़कर नहीं करेंगे, जब तक इन अधिकारियों के भरोसे अगर अपन रह गये तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। यह प्रण तो अपन को लेना पड़ेगा कि हम हमारे विधान सभा क्षेत्र में खुद मॉनिटरिंग करें और लोगों को आइडेंटिफाई करें, जो इस बात को नहीं मानते हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण या यूआईटी या आपके दूसरे सब, वे सब वाटर हार्वेस्टिंग का पैसा रखवा लेते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग का इतना-इतना पैसा जमा करवाओ। वाटर हार्वेस्टिंग का वे पैसा जमा करा देते हैं और वाटर हार्वेस्टिंग करवाते ही नहीं हैं। कोई जाकर देखने को तैयार नहीं है। अभी भी मेरे पास दो-तीन रोज पहले एक प्रस्ताव आया विभाग से कि तीन सौ वर्गमीटर के बजाय इसे आप दो सौ वर्गमीटर कर दीजियेगा। मैंने सिर पकड़ लिया, मैंने कहा दो सौ वर्गमीटर तक तो वैसे ही आपने फ्री कर रखा है, आप इजाजत दो या मत दो।

जब तक इम्प्लीमेंटेशन, जितनी भी चीजें आज सबने बोलीं, सारे माननीय सदस्यों ने बोलीं, सब महत्वपूर्ण तरीके से बोली गयी, बहुत अच्छे सुझाव दिये गये, लेकिन सवाल आता है कि इसको अमलीजामा पहनाने के लिये हम किस प्रकार का बन्दोबस्त करना चाहते हैं? कौन जिम्मेदार होगा? इन बातों को धरती पर लाने के लिये। हम इस बात पर विचार करें, यही निवेदन है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): दो सुझाव हैं। पंचायती राज मंत्री, विशेषकर अपने गांवों में एक साल में एक, अब उसमें विधायक फण्ड का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी एक सर्टेन पैसा आप काम में लेने के लिये उनको बाध्य करिये। अगर मान लें, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 65 पंचायतें हैं, तो मुझे 65 जोहड़ को वहां हर साल ठीक कराने के लिये एक लाख, दो लाख रुपया उसे देना पड़ेगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): साहब, मैं निवेदन करूं, मैं कोटा से आता हूं। कोटा में चारों तरफ चम्बल की नहरों का जाल है, चारों तरफ हर खेत में पानी पहुंचता है। उसके बावजूद भी वहां का किसान अपने खेत पर ट्यूबवैल लगाता है। वह ट्यूबवैल इसलिए लगाता है कि वह स्टेटस सिम्बल बन गया है। वह उसका स्टेटस सिम्बल है, वह घर पर नहीं नहायेगा, ट्यूबवैल पर जाकर नहायेगा, ताकि जनता देखती रहे कि कैसा ट्यूबवैल चल रहा है और कैसा शानदार चल रहा है। ये आदतें पड़ गईं, इनको कोई अफसर सुधार सकता है क्या? इन चीजों में जब तक अपना इंवोल्वमेंट नहीं होगा, जब तक हम लोग खुद उतरकर के सड़क पर नहीं जायेंगे और उनको नहीं समझायेगा, ये नहीं करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आज जो चर्चा हुई है। अगर इस प्रकार की चर्चा होगी तो निश्चित रूप से हम मिल बैठकर इसके रास्ते निकालेंगे। विशेषकर शहरों में हार्वेस्टिंग का मामला है, इसमें हर साल जो भी आपकी टीम है, जिसके घर में हार्वेस्टिंग नहीं, उसके ऊपर आप पैनल्टी इम्पोज कर दो पर फीट के हिसाब से, उसका घर इतना फीट बना हुआ और हार्वेस्टिंग बना हुआ है, तब तो उसको मुक्त कर दीजिये और नहीं बना हुआ है तो उसको टैक्स करिये, ताकि उसके कारण से वह लगाना शुरू करेगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह दे भी देगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमेशा कठोर कदम के बिना कोई चीज नहीं हो सकती, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हम सब मिलकर करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, चैरिटी बिगिन्स फ्रोम होम, आज हम सब लोग शपथ लें, सौगन्ध खायें कि हम अपने-अपने गांव में एक-एक परम्परागत पुराने जल स्रोत का पुनरुद्धार खड़े रहकर करायेंगे और अपनी कांस्टीट्यूएंसी में कम से कम 100 लोगों के, जो वाटर हार्वेस्टिंग शहर में नहीं लगा सके, हम नामजद करके कहेंगे कि मेरे अमुक-अमुक आदमियों ने नहीं लगा रखे, इनका चालान करो। हमारा विरोध होगा, चाहे वह हमारा ही आदमी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो, होगा तो होगा, पर यहां अगर संकल्प लेकर जायेंगे कि चैरिटी बिगिन्स फ्रोम होम करके जायेंगे तो देखना परिणाम क्या निकलेगा? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, पहली बार इस तरह की बात हुई है।

मैं आज आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बिलकुल यथार्थ और सही बातें कीं। इसके लिये तो शोचनीय है, छोटी कमेटी बनाकर बैठो, बुलाओ हम पांच आदमियों को, पांच आदमी आप बैठो और फिर प्रेस में जाकर हम कहें कि हम सबने सामूहिक तौर पर यह फैसला किया है, ताकि राजस्थान के अवाम को मालूम पड़े, वोट कटेंगे तो कटेंगे, पर यह हम करेंगे।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही कि एक एग्जाम्पल सैट किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने और वाकई आप जानते हैं, धारीवाल जी भी जानते हैं, वे सांसद भी रहे हैं। लोक सभा में हर शुक्रवार को तीन बजे बाद प्राइवेट मेम्बर्स बिल होता है तो यह जो आज एग्जाम्पल सेट किया है, निश्चित रूप से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने यह वातावरण बनाने की कोशिश की है। मैं भी माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात में अपनी बात को मिलाते हुए उनको धन्यवाद देता हूं।

साथ ही, अभी नेता प्रतिपक्ष महोदय ने जो बात कही, वाल टू वाल रोड बनाने की, कच्ची जगह नहीं छोड़ते हैं। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बैठे हैं, उसमें परेशानी यह है कि आजकल मकान भी बच्चे दे रहे हैं। आप जैसे कच्ची जगह छोड़ते हैं, मकान मालिक उस जगह पर चबूतरा बना लेता है, चबूतरा बनाकर थोड़े दिनों बाद उस चबूतरे को छाप लेता है और फिर उसके आगे चबूतरा बना लेता है।

हमको इस बारे में भी विचार करना होगा। पूरा सदन मिलकर इस बारे में विचार करे, चूंकि भू-जल विभाग मेरे पास है। हम तो खुद चिन्तित हैं और मैं अकेला ही नहीं, पूरा राजस्थान चिन्तित है कि जिस तरीके से हमारी भू-जल की स्थिति है। हमारी स्थिति शायद देश में सबसे खराब है स्थितियों में से एक है, भू-जल की, तो यह चिन्ता का विषय है और अगर मौका मिले तो इसी तरह की एक चर्चा भू-जल पर सदन को बैठकर करनी चाहिये और उसमें जो सुझाव निकलें भले ही उन पर वोटिंग हो, नहीं हो, लेकिन उस पर सारे मिलकर संकल्प लें कि हम इन निर्णयों को, इन सुझावों को अपने स्तर पर

(डा. महेश जोशी)

लागू कराने की हर सम्भव कोशिश करेंगे और इसके लिए पूरा सदन मिलकर, पूरा राजस्थान मिलकर एक होकर अगर इसमें कार्यवाही करेगा तो निश्चित रूप से हम राजस्थान की जो जनता भी चिन्तित है, हम सब चिन्तित हैं उन चिन्ताओं का निराकरण कर पायेंगे तो इस बारे में विचार करें और जो भी सुझाव हमारे मिलते हैं आपस में कोई जरूरी नहीं कि हम जब सदन चल रहा हो तभी बात करें, मैं बहुत सहर्ष रूप से सारे माननीय प्रतिपक्ष के और पक्ष के सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर इस सम्बन्ध में कोई सुझाव हो तो कृपा करके आप मुझे बतायें तो हम विभाग के स्तर पर भी अगर उसमें कुछ कर सकते हैं तो करने की कोशिश करेंगे। आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के नेता, उप नेता ने भी काफी मतलब एक तरह से गम्भीर चर्चा की। कुछ चीजें ऐसी हैं, आप हम सब मिलकर संकल्प नहीं लेंगे, कोई भी आदेश निकालते हैं, नीति बनाते हैं, जनता जब तक नहीं चाहती है वह नीचे तक धरातल तक नहीं जाती। आपने वाटर हार्वेस्टिंग की बात की, पुराने जमाने के जोहड़ों की बात की, माननीय राठौड़ साहब ने जोहड़ की बात की, पनिहारिनों की बात, बहुत सारी चर्चाएं हैं लेकिन आज हम देख रहे हैं राजस्थान में, देश में नदियों की सेन्ट्रल लाइन कहां लुप्त हो गयी, नदियां कहां समाप्त हो गयीं, कैसे हो गयीं, आपके कैचमेंट एरिया हैं, जलाशय हैं उन पर एनक्रोचमेंट हो गया, यह बहुत सारी चीजें हैं। अभी वाटर शैड और जो उसकी बात आप कर रहे हैं कि जल संरक्षण, भू-जल को कैसे रोका जाये, सतही पानी को कैसे रोका जाये, उसको संरक्षण कैसे दिया जाये, ये सारी चीजें आप और हम चर्चा नहीं करेंगे, इस पर गम्भीरता से नहीं सोचेंगे, आज मेरे पास जो विभाग है इसमें मैं देख रहा हूं कि 50 से 60 परसेंट बिलो टेण्डर है, 261 तेरह जिलों में, क्योंकि आप लोग हैं, यह आज से नहीं है व्यवस्था यह एक दिन में पैदा नहीं हुई है, किसी ने देखा नहीं है, एमएलए को पता नहीं है कि मेरे क्षेत्र में कौन से विकास के कार्य हो रहे हैं जल संरक्षण के लिए कौन कर रहे हैं, कैसे हो रहे हैं वो, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है पानी रुक रहा है। जल स्वावलम्बन की बड़ी-बड़ी बातें हुईं लेकिन वहां एक तलाई को दस बार खोद दिया, पेमेन्ट हो गया, आज यहां बात करें जयपुर की

(श्री रमेश चन्द मीना)

जो आपके शासन में हुआ, मैं किसी की चर्चा नहीं कर रहा हूं कि उसकी मैं भर्त्सना कर रहा हूं। द्रव्यवती नदी की बात कर लीजिये 1,400 करोड़ का कर्ज लिया गया, उस नदी की क्या हालत है, आज क्या पानी की व्यवस्था है, क्या उसकी सेन्ट्रल लाइन मिल गयी? उसकी जैसे अपने गुजरात में अहमदाबाद में जो नर्मदा का है उस तरह का वातावरण बन गया क्या? यह आप और हम लोग गम्भीरता से नहीं सोचते हैं, कहीं एन्क्रोचमेंट हो रहा है, कहीं पर किस तरह की चीजें हम ले रहे हैं, साथ में तो हमने अभी इस बार जो चर्चा की, उस समय कहा कि इनकी चर्चा पंचायत समिति की साधारण सभा में की जाये, जिला परिषद् में की जाये। जब तक हमारा एमएलए, मंत्री जो भी है वह नहीं जायेगा, गम्भीरता से नहीं लेगा कि हमारी ग्राम सभाओं में जो अनुमोदन हो रहा है, विकास के कार्य कौन से लिये जा रहे हैं, क्या डीपीआर बन रही है, क्या वार्षिक प्लान बन रहा है, उस पर हम गम्भीरता से नहीं सोचेंगे, आपने कहा कि नरेगा से इन तालाबों का, पुराने जलाशयों का रिनोवेशन हो, उनकी निरन्तर सफाई हो। राठौड़ साहब ने कहा कि नरेगा के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन की बात आयी थी, रेगुलर सफाई हो तो जो चीज अनुमत नहीं है एक्ट में तो उसकी हम राज्य सरकार में माननीय मुख्य मंत्री जी से चर्चा करके कि हम सामुदायिक शौचालय बनाते हैं या व्यक्तिगत शौचालय बनाते हैं उसकी निरन्तर सफाई नहीं हो पाती है या हमारे पानी की उपलब्धता नहीं है। आपने टांके की बात की, अच्छी बात की, मैं दोनों पर ही चर्चा कर रहा हूं तो जो हमने अभी तय किया है इस बार हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजीव गांधी जलाशय योजना में 2600 करोड़ रुपये का बजट दिया है तो हम उसकी डीपीआर इस प्रकार बनवा रहे हैं कि वास्तव में आम आदमी को उसका फायदा हो, वहां के पुराने जो नाले हैं, नदियां हैं, तालाब हैं कि पानी को कैसे रोका जाये क्योंकि राजस्थान का पानी जैसे चम्बल निकल रही है राजस्थान से तो उस पानी को हम कैसे रोक सकते हैं, उस बारे में भी अभी ईस्टर्न कैनाल की बात होती है तो सबसे पहले हम सोचें कि उस पानी को हम कैसे रोकें, हमारे क्षेत्र में राजस्थान में क्योंकि उसके बाद तो मध्य प्रदेश आ जाता है और जाकर आगे निकल जाती है तो जहां-जहां हम पानी को रोक सकते हैं उसके लिए हम सभी को गम्भीर होना पड़ेगा और गम्भीर होकर के वहां अपने विधान सभा क्षेत्र में हम देख पायेंगे कि हमारे कौन से विकास के कार्य हो रहे

(श्री रमेश चन्द मीना)

हैं, इसमें कोई राजनीतिक द्वेषता नहीं हो और द्वेषता न होकर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो आज चर्चा हो रही है गम्भीर उसके परिणाम भी सार्थक होंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं बोल लूं?

श्री सभापति: हां, बोलिये प्लीज।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सबसे पहले तो मैं आसन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्राइवेट मैंबर्स डे रखा गया और माननीय सदस्यों ने अपने जो विचार रखे, उसके आधार पर मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि अपने देश की जनसंख्या का 10.1 प्रतिशत राजस्थान में है। इसी प्रकार का पानी भूगर्भ में जो है वह देश का मात्र 1.1 प्रतिशत है। एरियावाइज राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन उसके बावजूद भूगर्भ में पानी की स्थिति बहुत कम होने के कारण एक बहुत चिन्ता का हमारे लिए विषय है तो इसमें दो बातें जरूरी हैं। आप सब लोगों ने जल संरक्षण की बात की वह बहुत अच्छी बात है लेकिन इसके साथ-साथ जल की बचत कैसे हो, जल की बर्बादी बहुत हो रही है। मुझे याद है हम लोग बचपन में जब छोटे थे तो सभापति महोदय, एक परात में नहाते थे और परात में नहाने के बाद उस पानी से कपड़े धोते थे और कपड़े धोने के बाद घर की सफाई होती थी और घर की सफाई होने के बाद फिर घर के आगे की नाली की सफाई होती थी। भोजन करने के बाद हाथ धोते थे तो हाथ धोने के बाद जो थाली में पानी होता था वह पानी एक बाल्टी में डाला जाता था। घर में मान लो दस-बारह प्रतिनिधि रहते हैं सब लोग मिला करके तो बाल्टी भर जाती थी, वह गायों की कुंडी में डाली जाती थी। यानी एक-एक बून्द का सर्वोत्तम और सांगोपांग उपयोग होता था। आज लोग नहाने में 5-6 बाल्टियां खर्च कर रहे हैं। (व्यवधान) इसी प्रकार कुल्ला करते हैं आप एक लोटे में पानी लेकर एक गिलास में पानी लेकर, टोंटी चल रही है और आपका पानी व्यर्थ जा रहा है तो जल की बचत के बारे में भी हमको सोचना होगा कि जल की बचत कैसे करें और मैं यह बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों की एक कमेटी बने और कमेटी बनकर पक्ष और विपक्ष के लोग यह ठान लें कि हमको यह काम करना है तो निश्चित रूप से यह काम हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि पहले घरों में सूखे टायलेट होते थे, आजकल फ्लश सिस्टम हो गया। अब

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

मान लीजिये घर में दस आदमी हैं अब बार-बार दस बार मान लीजिये लघु शंका के लिए जाते हैं तो आप दस बार बटन दबायेंगे पांच लीटर पानी गया। आप फ्लश की टंकी को डबल बटन की टंकी लगायें, छोटी आवश्यकता पर छोटा बटन, बड़ी आवश्यकता पर बड़ा बटन दबायें। इससे आपको एक-एक घर में ढाई सौ-तीन सौ लीटर पानी की बचत हो सकती है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि यदि इसको अनिवार्य कर दिया जाये कि हर घर में चार सौ-पांच सौ रुपये का खर्चा है केवल आपको फ्लश सिस्टम को बदलना है उससे आपके एक-एक घर में छोटा घर है तो दो-ढाई सौ लीटर पानी की बचत हो जायेगी, बड़ा घर होगा तो पांच सौ लीटर की बचत हो जायेगी। पानी की बचत करने की आवश्यकता है।

दूसरी तरफ विपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि वाल टू वाल सड़क, अभी प्रतिपक्ष के नेता बता रहे थे, हम सड़क बनायें लेकिन हर एक किलोमीटर के बाद यदि एक ऐसा सिस्टम बना दें कि वह पानी बहकर एक किलोमीटर के बाद एक कुआं बना करके उसमें पानी चला जाये तो वह पानी निश्चित रूप से भूगर्भ में चला जायेगा। (व्यवधान) पांच सौ मीटर पर कर दो, ढाई सौ मीटर पर कर दो, जब दस-बीस आदमी समान बुद्धि के बैठ करके काम करेंगे और उसमें पक्ष और विपक्ष को छोड़कर राजस्थान के हित की बात करेंगे, जल संरक्षण की बात करेंगे तो निश्चित रूप से यह नीति बन जायेगी और शहरों में और गांवों में जहां भी सड़क बने, ढाई सौ-पांच सौ मीटर जो भी तय करें, उसके बाद एक कुआं बन जाये और वह पानी नीचे भूगर्भ में चला जाये तो निश्चित रूप से इससे जल संरक्षण होगा और हर घर में जैसे अभी मान लो इन्होंने तीन सौ मीटर पर कर रखा है इसको हम लोगों ने, एक मीटिंग हुई थी अटल जल भूजल योजना की उसमें यह सुझाव रखा था कि आप हर घर में चाहे वह सौ मीटर का हो, डेढ़ सौ मीटर का हो, जितना मकान हो, छत का पानी घर के आंगन के नीचे जाकर के उसका एक तरीके से संरक्षण होना चाहिये और गांव का पानी गांव में, उसका संरक्षण हो तो निश्चित रूप से भूगर्भ में पानी की एक तरह से ऊंचाई आयेगी। हम एक तरफ जल संरक्षण करें दूसरी तरफ जल की बचत करें तो निश्चित रूप से यह काम हो सकता है।

इसके साथ-साथ हम एक साथ कई बार सफाई अभियान करते हैं न, उसी तरीके से एक साल पूरा गांव के तालाबों के लिए, शहर के तालाबों

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

के लिए करने के लिए हम हमारे सारे तालाब दुरुस्त करेंगे जो भी कैचमेंट एरिया है उसमें एन्क्रोचमेंट है उनको तोड़ेंगे। दीगर लोगों ने ही कब्जा कर रखा है, जो रक्षक हैं वो ही भक्षक बने हुए हैं। बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने ही कैचमेंट एरिया पर कब्जा कर रखा है तो उसमें किसी का लिहाज मत रखो। कैचमेंट एरिया में जो भी आया है, उसको सब मिलकर तोड़ दो और उसको तोड़ कर उस तालाब को सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है।

राजस्थान में जल की कमी को दूर करने के लिये सरफेस वाटर की आवश्यकता है, इसके लिये हमको यमुना का हमारे हिस्से का पानी हमारे यहां लाना होगा। यमुना के हिस्से का पानी हरियाणा हमको नहीं लाने दे रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे स्वयं के केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह जी साहब इस काम को देख रहे हैं। हम सब लोग मिलकर उनसे यह कहें कि यमुना का हमारे हिस्से का पानी हमको दिलायें तो शेखावाटी इलाके में पानी की कमी को दूर किया जा सकता है।

हमारी ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान की एक लाइफ लाइन है। इसकी 37200 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी हुई है। हमको इसकी एक तरह से मंजूरी मिलती है तो ईस्टर्न राजस्थान में पानी की कमी को दूर किया जा सकता है, सरफेस वाटर आ सकता है।

(समय: 16.50 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

नौगावां में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी काली सिंध नदी का पानी लाने की बात की है, उससे भी सरफेस वाटर काफी मात्रा में आयेगा। कुल मिलाकर सरफेस वाटर राजस्थान में आयेगा तो उससे भी भूगर्भ में जल की स्थिति बढ़ेगी और राजस्थान में सरफेस वाटर आने से जो हमारे भूगर्भ में 1.1 परसेंट पानी है, उसमें बढ़ोतरी होगी। मैं इन्हीं सुझावों के साथ यह कहना चाहूंगा कि तीन रत्न हैं अन्न रत्न, जल रत्न और सुभाषित वाक्य रत्न है। हमको पानी रूपी रत्न को बचाने के लिये जल संरक्षण करना होगा और जल की बचत पर ध्यान देना होगा तभी जाकर हम राजस्थान में जल संकट की स्थिति को बचा पायेंगे, धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाकर साढ़े पांच बजे तक कर दिया जाय।

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष: सदन का समय बढ़ाया गया।

माननीय सदस्य, इम्पोर्टेंट है, डिस्कशन भी अच्छा हो रहा है लेकिन चूंकि आज क्रिकेट का मैच भी है, लोगों को जाना भी है। इसलिए आधे घंटे में एक और संकल्प का प्रस्ताव ले लेते हैं, बाकी संकल्प को हम अगले फ्राइडे में लेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आज यह शुक्रवार के दिन का जो आपने उपयोग किया है, यह निरंतर हो। आगे भी जब कभी भी विधान सभा चले तो भले ही एक दिन आगे बढ़ जाये, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुक्रवार के दिन इस प्रकार के विषय, जिस पर पक्ष-विपक्ष न हो, सब एक ही दिशा में सोच कर उस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाय, जो वातावरण आज बना है, इस वातावरण का और उपयोग करते हुए इसको आप निश्चित करें। आपका धन्यवाद कि आज आपने ऐसे अच्छे विषय रखे जिसके कारण से सबकी एक राय होकर आगे बढ़ने का प्रयास हुआ।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। बिलकुल हर फ्राईडे को जो हमारे रूल्स में प्रोविजन हैं, हम प्राइवेट डे बिल रखेंगे और फार्च्युनेटली लाटरी भी अच्छी निकली है। जैसे आज का डिस्कशन हुआ, अच्छा डिस्कशन हुआ, उसको पोस्टपोंड किया, आगे और डिस्कशन करेंगे। इसी तरह से तीसरा सब्जेक्ट भी आज इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तीसरे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद साढ़े पांच बजे हम हाउस को एडजोर्न कर लेंगे। बाकी जो प्रस्ताव हैं, उनको अगले फ्राईडे को लेकर डिबेट को आगे बढ़ायेंगे।

श्री बिहारीलाल। माननीय बिहारीलाल जी यह ध्यान रखें कि आपके बाद कटारिया जी का भी इसमें अमेंडमेंट है और एक-दो सदस्य और बोलेंगे, उस हिसाब से टाइम का ध्यान रखें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि मेरे संकल्प को आपने बचा लिया।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपका नहीं बचाया, आपके चीफ व्हिप का बचाया है।

गैर सरकारी संकल्प

यह सदन संकल्प करता है कि राजस्थानी भाषा के उन्नयन और प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए राज्य सरकार राजस्थानी भाषा को प्रदेश में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये।

श्री बिहारीलाल (नोखा): आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी सदन के वरिष्ठ सदस्यों ने चर्चा करते हुए कई शब्द बोले। आदरणीय कटारिया जी ने कहा कि हमें संकल्प लेना चाहिये। उधर से धारीवाल जी ने कहा कि हमें प्रण लेना चाहिये। राजेन्द्र राठौड़ साहब ने कहा कि हमें सौगंध लेनी चाहिये और महेश जी ने कहा कि हमें पक्का इरादा रखना चाहिये। मेरा जो संकल्प है, वह राजस्थानी भाषा को द्वितीय राजभाषा की मान्यता देने का है। राजस्थानी वास्तव में कितनी समृद्ध भाषा है, सगला प्रण रहे चाहे संकल्प रहे, चाहे सौगंध है, चाहे पक्की बात है, अ सगला राजस्थानी का ही शब्द हैं।

(समय: 16.54 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

मेरे संकल्प की शुरुआत करते हुए कहना चाहूंगा कि हरेक मिनख रे सगले जीवण काल मां, मायड़ भौम अर मायड़ भाषा रो घणो महत्व रहवै। श्रीमान जी म्हैं आपने आ बात केवणी चाहूं के जिण प्रकार सूं महाराष्ट्र सरकार आपरे अठे हर सरकारी अर गैर सरकारी संस्थानां मांय आपरी मातृभाषा मराठी नै अनिवार्य रूप सूं लागू करी। इणी भांत हरियाणा में हरियाणवी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी अर झारखंड में तो 16 भाषावां ने दूजी राजभाषा रो दरजो है। अर अबार थोड़ा दिना पेलां दिल्ली री सरकार आपरे अठे मैथिली-भोजपुरी भाषा ने शिक्षा में लागू करी है। आर री घड़ी राजस्थान रा 200 में सूं 140 विधायक अर मंत्री राजस्थानी भाषा ने प्रदेश री दूसरी राजभाषा बणावण सारूं माननीय मुख्य मंत्री जी रे नांव पत्र लिख चुक्या है सा। विधायकां री मांग जनता-जनार्दन री मांग हुवे है। अतः आपसुं म्हारो घणै मान निवेदन है के आप आपणे राजस्थान रे मांय अठे रे लोगां री जन-भावना रो सम्मान करता थकां राजस्थानी भाषा ने राज भाषा रो दरजो देओ अर प्राथमिक शिक्षा में मायड़ भाषा ने घणै मान लागू करो सा जिणसुं अठे रे नौजवानां ने रुजगार राजस्थान मां घणा अवसर मिलसी।

(श्री बिहारीलाल)

आदरणीय सभापति महोदय, संसद द्वारा पारित स्टेट आर्गेनाइजेशन एक्ट, 1956 द्वारा सभी प्रान्तों का पुनर्गठन भाषायी आधार पर किया गया था। दूसरी तरफ तत्कालीन राजस्थान सरकार ने बिना जनमत संग्रह कराये, बिना विधान सभा में प्रस्ताव पारित किये महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षरों से दिनांक 26.12.1956 को राजस्थान की देशी रियासतों की राजस्थानी भाषा को The Rajasthan Official Language Act, 1956 (Act No. 47 of 1956) के द्वारा Repeal करके हिन्दी भाषा को राज्य की राजभाषा घोषित किया था। 25.08.2003 को इसी विधान सभा ने, इसी सदन में एक शासकीय संकल्प पारित किया था, आज तो हमारा प्राइवेट मैम्बर डे है, हम प्राइवेट संकल्प लेकर आये हैं। उस वक्त तो तब के शिक्षा मंत्री जी और अब के शिक्षा मंत्री जी, बी.डी. कल्ला साहब ने 25.08.2003 को सर्वसम्मति से शासकीय प्रस्ताव पारित किया था। कल्ला जी को तो बखूबी याद होगा। शासकीय प्रस्ताव में कहा था, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करता हूं-

'राजस्थान विधान सभा के सभी सदस्य सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित करते हैं कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। राजस्थान में विभिन्न जिलों में बोली जाने वाली बोलियां यथा- बृज भाषा, हाडौती, बागड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, शेखावाटी, आदि शामिल है।'

उस समय राजेन्द्र राठौड़ साहब ने कहा कि बागड़ी भी शामिल है क्या? कल्ला साहब ने कहा कि हां बागड़ी भी शामिल है। अजमेर से आने वाले माननीय सांवर लाल जी जो आज हमारे बीच इस दुनिया में नहीं हैं, सांवर लाल जी ने बोला कि राठौड़ी, मेरवाड़ी भी लिखो साहब। अजमेरी भाषा भी इसमें शामिल करो। आदरणीय कल्ला जी, यह आपका 19 वर्ष पहले का संकल्प है।

हमने संकल्प पारित कर दिया 19 वर्ष पहले कि केन्द्र की आठवीं अनुसूची में इसे शामिल किया जाय, लेकिन राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में इसलिए शामिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यह भाषा श्री सीताकांत महापात्र की समिति की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान में शिक्षण माध्यम के रूप में संचालित नहीं है। वैकल्पिक विषय अवश्य है। इस तथ्य को

(श्री बिहारीलाल)

राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को दिनांक 23.8.2013 को भिजवाई गई रिपोर्ट में स्वीकारा गया है।

माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को, दिल्ली में उर्दू एवं पंजाबी, दोनों भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा है। दिल्ली सरकार ने दोनों भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देते हुए 2003 में यह नोटिफिकेशन किया था। मैं चाहता हूं कि राजस्थानी भाषा को भी राज्य की द्वितीय भाषा घोषित करते हुए नोटिफिकेशन जारी करें या The Rajasthan Official Language Act, 1956 में एक नई धारा जोड़कर वैधानिक मान्यता प्रदान की जानी चाहिये। हम राजस्थान में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दे देंगे तो आरबीआई और यूपीएससी की जो आपत्तियां आठवीं अनुसूची में भाषा को शामिल करने को लेकर हैं, दो महत्वपूर्ण संस्था आरबीआई और यूपीएससी की जो आपत्तियां आई थीं, उनके भी कोई मायने नहीं रहेंगे। आरबीआई तो कहता है कि नोट पर 15 भाषाओं को लिखने की ही जगह है, इसलिए हम नई भाषा शामिल नहीं कर सकते, जबकि लिखते 15 हैं और आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता है। इनका यह आधार बिलकुल निराधार है। यूपीएससी कहता है कि नई भाषा शामिल हो जायेगी तो हमारा काम बढ़ जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, 2013 के शुरू में केन्द्र सरकार में एक कमेटी बनी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आठवीं अनुसूची में जोड़ने के लिये यूपीएससी के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए बात वहीं आकर ठहरती है कि जब हम अपने ही प्रदेश राजस्थान में इसको द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा देंगे तो वहां आठवीं अनुसूची में शामिल होने में भी ताकत मिलेगी।

(समय: 17.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मान्यता मिल जायेगी तो फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा? लाभ यह होगा कि हमारे राजस्थान की परीक्षाओं में राजस्थानी का पेपर होगा। यूपीएससी की आईएएस की परीक्षा में भी राजस्थानी का पेपर होगा। माननीय सभापति जी, 2 हजार नम्बरों में से 600 नम्बर का पेपर होगा।

श्री सभापति: प्लीज आप कन्क्लूड करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): सभापति जी, मैंने शुरू किया है, साढ़े पांच बजे तक का समय है।

श्री सभापति: साढ़े पांच का तो आखिरी टाइम है। माननीय कटारिया साहब भी बोलेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो कोई दो मिनट बोलूंगा, इन्हें बोलने दें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): यूपीएससी में 600 नम्बर का राजस्थानी का पेपर होगा तो कल्पना कीजिये कि राजस्थान का नौजवान देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में कितनी ताकत से आगे बढ़ेगा और हम राजस्थान के सुनहरे भविष्य का अन्दाजा लगा सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, अंग्रेजों के राज में राजस्थानी, लेकिन आज हम मान्यता को मोहताज हैं। अंग्रेजी हुकूमत में हर अफसर के लिये राजस्थानी भाषा की अनिवार्यता। राजस्थानी भाषा पढ़ने, समझने और लिखने की क़ाबिलियत उस वक्त जरूरी हुआ करती थी। आज हम उसके लिये तरस रहे हैं।

माननीय सभापति जी, राज कवि पद्मश्री स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल जी सेठिया जी के योगदान को, विजयदान देथा जी के योगदान को, राजस्थान का कौनसा नागरिक ऐसा है, जो उनको भुला सकता है। बीकानेर में माननीय मंत्री जी स्वर्गीय अन्नाराम जी सुदामा, जो कि राजस्थानी के कितने बड़े साहित्यकार हुए, जिनकी किताबें आज चलती हैं। मधु आचार्य जी आशावादी, जिन्होंने इस आशा में सौ से ज्यादा किताबें राजस्थानी में लिख दीं कि एक राजस्थानी को दूसरी राजभाषा का दर्जा राजस्थान में मिलेगा। उदयपुर के डाक्टर जोलवाल, बीकानेर और हनुमानगढ़ के प्रशांत जैन और हरिराम जी, जोधपुर, जहां से माननीय मुख्य मंत्री जी आते हैं। यह संजोग देखिये, आज भी मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब हैं, आज भी शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला साहब हैं, उस वक्त संकल्प पारित करते वक्त आप ही शिक्षा मंत्री थे और अशोक गहलोत जी मुख्य मंत्री थे तो मारवाड़ की राजधानी जोधपुर से महाराजा गजसिंह जी ने हमारी राजस्थानी भाषा के लिये कितना काम किया है। महाराजा गजसिंह का सपना है कि राजस्थानी को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिले। कल्ला जी, 19 वर्ष हो गये। 19 वर्ष में पीढ़ी जवान हो जाती है, पोता पनावनआला होग्या, पण राजस्थानी न राजभाषा को दर्जो मिल्यो कोनी। उम्मीद करां कि आज 25 मार्च है, वह 25 अगस्त था। आज 25 मार्च को दुबारा हम इस पर बात कर रहे हैं। थोड़े दिनों में 28 मार्च को हमारी विधान सभा का अन्तिम दिन है।

(श्री बिहारीलाल)

सभापति जी, मैं आपसे मांग करता हूं कि राजस्थानी को राजभाषा बनाने के लिये, इसको देश और दुनिया में 10 करोड़ लोग बोलते हैं, उसके लिये सदन का समय दो दिन के लिये बढ़ाया जाये। 28 के बाद 29 को एक दिन बीच में पड़ता है और 30 तारीख को राजस्थान का जन्म दिवस भी है। 30 तारीख को राजस्थान के जन्म दिवस पर राजस्थान को तोहफा मिले कि हमारी राजस्थानी को दूसरी राजभाषा का दर्जा राजस्थान में मिले।

माननीय सभापति महोदय, मैं बीकानेर की धरती से आता हूं। बीकानेर की बीकानेरियत हमारे जेहन और हमारी आत्मा है, उसमें भी हमारी मायड़ भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। बीकानेर का आदमी, चारदीवारी में रहने वाला आदमी, जहां से माननीय कल्ला जी आते हैं। हम दुनिया, देश और प्रदेश की ग्रोथ का आकलन जीएसडीपी और जीडीपी से लगाते हैं, लेकिन दुनिया में एक पैरामीटर और है, जिसमें हैप्पीनेस इंडेक्स के माध्यम से हम सम्पन्नता की बात करते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स के माध्यम से वह पैरामीटर लेकर दुनिया का कोई वैज्ञानिक मेरे बीकानेर में आयेगा, बीकानेर में भी कल्ला जी के चारदीवारी के क्षेत्र में आयेगा तो साहब सारे पैरामीटर पार हो जायेंगे। वहां कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में हमारा आदमी आज भी इतनी शिद्दत से और इतनी सरलता से जीता है, कितने भी झंझावात हों, उनको सुगमता से सह लेता है। आपस की बोली की मीठी भाषा से राजस्थानी भाषा में बोल-बतलावण से, ऐसी भाषा राजस्थानी है, जिसे हम दूसरी राजभाषा बनाने का मांग कर रहे हैं।

माननीय सभापति जी, कोई भाषा समृद्ध कैसे होती है? उसके क्या पैरामीटर हैं? जिन भाषाओं में उप बोलियां जितनी ज्यादा होंगी, वह भाषा उतनी ही समृद्ध मानी जायेगी, उसका शब्दकोश उतना समृद्ध माना जायेगा। तेलगु में 36 बोलियां हैं, मलयालम में 14, कोंकणी में 17, नेपाली में 6, पंजाबी में 29, उड़िया में 24, हिन्दी में 43, कन्नड़ में 32, मराठी में 65, तमिल में 22, गुजराती में 27, बंगाली में 15, अंग्रेजी में 57 और राजस्थानी में 73 हैं। अब अंदाजा लगा लीजिये कि हमारी भाषा कितनी समृद्ध है और राजस्थानी भाषा का कितना विशाल शब्दकोश है? फिर भी हमारी भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा क्यों नहीं?

माननीय सभापति जी, हमारी मातृभाषा राजस्थानी, भारत की आर्य वंशोत्पन्न आधुनिक भाषाओं में संभवत: सबसे प्राचीन है। हमारी भाषा हजार

(श्री बिहारीलाल)

वर्ष पुरानी है। हमारी अधोगति का एक महत्वपूर्ण कारण है, अपनी मातृभाषा और अपने साहित्य के प्रति हमारी उदासीनता। राजस्थान का साहित्य महान साहित्य है। वह जीवन से लबालब भरा हुआ है। आज उसे भुलाकर हम समस्त जीवनी-शक्ति को खो बैठे हैं। राजस्थान साहित्य जीवन से अलग रहने वाले पागलों का प्रलाप नहीं, किन्तु जीवन के साथ मिला हुआ है। राजस्थान का साहित्यकार, राजस्थान का कलमकार कलम का ही धनी नहीं था, समय पड़ने पर वह तलवार भी उठा लिया करता था। उसकी सप्राण कलम का चमत्कार अनेक बार देश और दुनिया ने देखा है। माननीय सभापति जी, इसमें मैं एक उदाहरण देने का लोभ छोड़ नहीं पाऊंगा। राजपूती आन, राजस्थान के स्वाभिमान की आन, बान और शान। राजपूती आन की अन्तिम आशा टूट रही थी। महाराणा प्रताप विचलित हो गये थे।

अरे घास री रोटी ही, जद बन बिलावडो ले भाग्यो

नान्हो सो अमरियो चीख पड्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो

हूं लड्यो घणो, हूं सह्यो घणो, मेवाड़ी मान बचावण न

यह बात, महाराणा प्रताप विचलित हुए। जब यह पाती अकबर को लिख भेजी। उस समय एक वीर कवि हृदय जो परतन्त्र होकर भी स्वतन्त्रता का उपासक था, पराधीन होने पर भी जिसका अन्तर मन पराधीन नहीं था, इस अन्तिम आशा तन्तु को डूबते देख क्षुब्ध हो उठा। उसने बचाने का अन्तिम प्रयत्न किया और लिख भेजा,

मैं आज सुणी है नाहरियो,

साळ्यां रे सागै सोवैलो

मैं आज सुणी है चातकड़ो,

धरती रो पाणी पीवैलो।

यह लिखने वाले भी, बीकानेर के महाराजा पृथ्वीराज थे। जब राजस्थान के स्वाभिमान की अन्तिम आस टूट रही थी, उसको टूटने से। उस अमर आन का रक्षक कौन था, महाराणा प्रताप या महाराजा पृथ्वीराज बीकानेर, दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान है। कल्ला जी, आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि उसी महाराणा प्रताप और महाकवि महाराजा पृथ्वीराज की धरती से आप आते हो, उसी से मैं आता हूं। आज उस पृथ्वीराज की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं तो निभा ही रहा हूं। जगाइये, मुख्य मंत्री जी के स्वाभिमान को, जिस तरह से महाराणा के स्वाभिमान को महाराजा

(श्री बिहारीलाल)

पृथ्वीराज ने जगाया। आप भी जगाइये। आप बीकानेर की धरती से आते हैं। आपका संकल्प पारित किया हुआ है। इस सदन का संकल्प पारित किया हुआ है। निश्चित तौर पर राजस्थान में राजस्थानी को दूसरी राज भाषा का दर्जा देने का काम करें।

माननीय सभापति जी, जब इस उदाहरण को राजस्थान के लोगों से, कवियों से, महामना मालवीय जी ने और विश्व कवि रविन्द्रनाथ जी ने सुना तो नाच उठे कि ये सारी चीजें हमारे साहित्य में क्यों नहीं हैं? मैं मेरी गीतांजलि में इसकी बात रखूंगा, मैं मेरे विश्वविद्यालयों में ये सारे पाठ रखूंगा। ऐसा विश्व कवि रविन्द्रनाथ जी ने कहा था। राजस्थानी का लोक साहित्य अपने सौन्दर्य में अद्वितीय है। उसके लोक गीतों में जीवन अपने नाना रंगी रूपों में प्रकट हुआ है। उसमें प्रेम की प्रधानता है, पर वह प्रेम एकांगी नहीं है। केवल पति-पत्नी के प्रणय के लिये, मान, अपमान और विरह वेदना तक ही वह सीमित नहीं है। जहां पत्नी के प्रेम-निर्झर की वेगवती श्यामा कलिंद-नंदिनी बह रही है, वहां मां के मीठे स्नेह की सुरसरिता भी मधुर वेग से प्रवहमान है। बहन के पावन प्रेम की सुधा-सिंचित सरस्वती तो बज गजब ढहा रही है। लोकगीतों के समस्त जीवन में पवित्रता का भाव ओतप्रोत भरा है।

माननीय सभापति जी, एक समय था, जब राजस्थानी समस्त उत्तर-पश्चिमी भारत की भाषा हुआ करती थी, सारे भारत के साहित्य की भाषा थी। कबीर की भाषा राजस्थानी के ही सबसे अधिक निकट है। मलिक मोहम्मद जायसी तक में राजस्थानी के ठेठ शब्दों और मुहावरों की कमी है। आधुनिक राजस्थान, गुजराती, व्रजभाषा और पंजाबी को उसने जन्म दिया है। खड़ी बोली के विकास में राजस्थानी का प्रमुख योगदान रहा है। सभापति महोदय, मैं कबीरे के दो उदाहरण आपके सामने रखता हूं।

आंखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार।
जीभड़िया छाला पड़ा, राम पुकारि पुकारि।।
कबीर संगति साधु की, कदे न निरफल होइ।
चंदन होसी बावना, नींव न कहसी कोइ।।

यह राजस्थानी कबीर की वाणी है। इसलिये हमारी राजस्थान भाषा कितनी समृद्ध है, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। आज स्थिति है कि राजस्थान की अपनी मातृभाषा बताते हमें संकोच होता है। जिस प्रकार से सौ

(श्री बिहारीलाल)

वर्ष पूर्व हिंदी भाषा-भाषियों को हिंदी को अपनी भाषा बतलाते संकोच होता था, वैसे ही आज मायड़ भाषा को अपनी भाषा बताते संकोच होता है। मतलब, मां को मां कहने में संकोच हो रहा है। कहानी के उस पुराने ढंग के बाप के साहब बेटे की भांति हमें कहना पड़ता है, यह तो मेरा नौकर है। प्रताप और दुर्गादास की भाषा को आज हम गंवारू भाषा कह रहे हैं। इससे ज्यादा पतन की पराकाष्ठा क्या होगी, हम कहां तक गिरेंगे?

श्री सभापति: समय की थोड़ी सीमा है, इस विषय पर माननीय मंत्री महोदय भी बोलेंगे।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, पांच मिनट में पूरा कर दूंगा। अब यह विचार जन-जन का होना चाहिये।

कंठ के सुर सब बोल पड़ने चाहिये, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब यह तय हो जाना चाहिये, राजस्थानी को हमारी द्वितीय राजभाषा बनना चाहिये।

''मायड़ भासा बोलतां, जिणने आवे लाज।

ऐड़ा कपूतां सूं दुःखी, आखो देस समाज''।।

हमने सुना है, कहते हैं 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी', इसी तरह मातृभाषा भी सबसे महान है। हृदय के सबसे नजदीक है। जो हम घर में सीखते हैं, जब जन्मते हैं तब मां से सीखते हैं। आज आजादी के सात दशक, 75वां साल मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अभी भी राजस्थानी को दूसरी भाषा का दर्जा नहीं दे पाये। ये पूरे सदन के लिये बड़ी शर्म की बात है।

'खाली धड़ री कद हुवे, चेरे बिन्या पिचाण।

मायड़ भासा रे बिना क्यांरो राजस्थान''।।

दुनिया भर के करोड़ों लोगों की बोली है ये। राजस्थानी भाषा विश्व की सोलहवीं, भारत की सातवीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। राजस्थानी भाषा को अमरीका और नेपाल ने मान्यता दे रखी है, परन्तु दुर्भाग्यवश हम राजस्थान में दूसरी भाषा नहीं बना पाये।

सभापति जी, कई लोग कहते हैं कौनसी राजस्थानी? कैसी राजस्थानी? किस राजस्थानी की बात कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं, मैं इस राजस्थानी की बात कर रहा हूं, जिण भासा ने केन्द्रीय साहित्य अकादमी सन 1974 सूं 22 संवैधानिक मान्यता प्राप्त भासा सागे केवल अंग्रेजी रे अलावा एकमात्र भाषा है, अर

(श्री बिहारीलाल)

जिणमें हर साल साहित्यकारां ने पुरस्कार मिळे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जिण भासा ने विश्व रो शक्तिशाली देश अमेरिका अर नेपाल आपरे अठे मानता दे राखी है, मैं बी भासा री बात कर रह्यो हूं।

जिण भासा री मानता सारू 25 अगस्त, 2003 न राजस्थान विधान सभा सूं सर्वसम्मति सूं प्रस्ताव पारित हुयो हैं मैं बी भासा री बात कर रह्यो हूं। म्है उण भासा री मानता री बात करूं जिण ने सीताकांत महापात्र समिति भासा मानता री हर कसौटी माथे खरी पाई है। म्है उण भासा री मानता री बात करूं जिण में यू.जी.सी. नेट की परीक्षा लेवे। आर.पी.एस.सी. मास्टर की परीक्षा लेवे, अर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ग्यारहवीं, बारहवीं री परीक्षा लेवे। कालेजों में स्नातक अर परास्नातक री परीक्षा लेइजे। मैं उण भासा री मानता री बात करूं जिणरो शब्दकोश पद्मश्री सीताराम लालस द्वारा रचित विश्व रो सबसूं बड़ो और लुंठो शब्दकोश है। जिणरा 14 भाग अर लगभग 12 किलो वज़न है।

माननीय सभापति जी, म्है उण भासा री मानता री बात करूं जिणमें राजस्थान रे संत सूरमावां री वाणी है। इणी जम्भवाणी है, इणी में तेजा वाणी है, इणी में मीराबाई री वाणी है। इणी भाषा में मकराना सूं आउण हाला रूपाराम जी तेजो सुनाव, बी भाषा री बात है। इणी भाषा रे ओज सूं मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह चेतावनी रा चुंगटिया सुणर, दिल्ली दरबार सूं पाछा मुड़ जावे। इणी भौम अर भासा रे मान सारू महाराणा प्रताप आपरे स्वाभिमान री रक्षा करी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, हम सब चाहेंगे कि इस विषय को माननीय मंत्री जी भी डील करें। वे भी बोलें, आज का 5.30 बजे का टाइम है। मेरे को बीच में घंटी बजानी पड़ जायेगी।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, मैं तीन मिनट में पूरी कर दूंगा।

श्री सभापति: तीन मिनट क्या? बहुत हो गया टाइम। आप कन्क्लूड कर लीजिए, प्लीज।

श्री बिहारीलाल (नोखा): जिण भासा सूं 108 मोतियां सूं एक चोखी माला बणे, उणी भांत सूं मेवाड़ी, हाडोती, ढूंढाडी, मारवाड़ी आद मोती रूपी बोलियां सूं राजस्थानी भासा रूपी माळा रो निर्माण हुवे उण भासा री बात

(श्री बिहारीलाल)

करूं। भासा रा जाणकारां रे मुजब जिण भासा री जिती घणी बोलियां हुवे उती ही बा समृद्ध भासा मानीजे। अर मानक बोली ने भासा रो दरजो दिरीजी। इण खातिर आपणी मानक बोली मारवाड़ी ने ही राजस्थानी भासा री मानक बोली है। आपरा बडेरा, म्हारा बडेरा, थारा बडेरा, जिकी भासा बोलता बी राजस्थानी भासा री म्है बात करूं।

जिण भासा रे ओज सूं सिर साठें रूंख रेवे तो भी सस्तो जाण, कहवता कहवता मां अमृता रे नेतृत्व में 363 नर-नारी पेड़ खातिर सिर कटा दियो, मैं उण भासा री बात करूं।

जिण भासा रे ओज सूं सिर कट्योडी धड़ दुश्मनां रा छक्का छुड़ा देंवती। इणी भासा रे ओज सारू ठाकुर रविन्द्र नाथ टैगोर राजस्थानी भासा रे साहित्य ने आपरी रचना गीतांजलि सूं भी उन्चे दरजे रो केयो, म्है उण भासा री बात करूं। जिण भासा में आपां अठ सदन मैं वोट मांग अर आया, जिण भासा मं आपा वोट मांग्या, जिण भासा में देवणी आपा न दियां, बी भाषा री म्है बात कर रह्यो हूं। कितनी महत्वपूर्ण भाषा है, अब थै अंदाजो लगा ल्यो।

वर्ष 2003 को हमने संकल्प पारित किया। बापू की फोटो लगी ऊपर। महात्मा गांधी भी हमेशा बच्चों को उनकी शिक्षा मातृभाषा में देने के प्रबल समर्थक थे। हमारी न्यू एजुकेशन पालिसी 2020 कहती है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिये।

माननीय सभापति जी, गोवा, दमन-दीव ने अपनी राजभाषा बना दी। छत्तीसगढ़ ने अपनी राजभाषा छत्तीसगढ़ी को बना दिया। बिहार ने बना दिया, मेघालय ने बना दिया अपन गारो व खासी को, पश्चिमी बंगाल ने बना दिया। सदन में 101 मिलकर सरकार बना देते हैं। हम 200 में से 101 मिलकर सरकार बना देते हैं। 155 लिख चुके हैं, जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, 155 लिखने के बाद भी हम द्वितीय राजभाषा नहीं बना सकते?

माननीय सभापति जी, इन बातों से, इस इच्छाशक्ति से आगे बढ़ना होगा, तभी हम भाषा को ताकत दे सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कल्ला जी पर, माननीय मुख्य मंत्री जी पर, मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। इस राजस्थानी को बोलने वाले करोड़ों लोगों का भरोसा नहीं तोड़ेंगे। इसको दर्जा देंगे।

"मायड़ भासा करे पुकार,

गहलोत, मायड़ न बेगी तार,

(श्री बिहारीलाल)

म्हारी मांग मोटी नहीं,
भासा मांगा रोटी नीं,
राजस्थानी ने टाळो क्यूं,
म्हारी जबान पर ताळो क्यूं,
भासा है संजीवणी,
जे कोई हड़मान,
ल्यावो, उठ बैठो हुवे,
लिछमन राजस्थान।।
मां अर मायड़ भोम ज्यूं
मायड़ भासा मान,
राजस्थानी राखियां,
रहसी राजस्थान।"

सभापति जी, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

"मां अर मायड़ भोम ज्यूं
मायड़ भासा मान,
राजस्थानी राखियां,
रहसी राजस्थान।"

ये अलग-अलग बात करने वाले, आज बात कर रहे हैं कि किसको दर्जा दें? कल ये बात करेंगे हमारा ब्रज प्रदेश अलग हो, हमारा ढूंढाड़ अलग हो, हमने राजस्थानी में इन सबको पिरो दिया तो राजस्थान की एकजुटता पर भी कोई संकट भविष्य में कभी नहीं रहेगा। कोई किसी ओर की बात नहीं करेगा। राजस्थानी भाषा हम सबको बांध कर रखने वाली भाषा है।

माननीय सभापति जी, मैं आदरणीय कल्ला जी से बात करूंगा। मैं चिंतित हो गया था जब राजेन्द्र राठौड़ साहब अपने संकल्प की बात करके बैठे। कटारिया जी ने उस पर संशोधन रखा और उस पर प्रण की बात लेकर धारीवाल जी खड़े हो गये। उस पर आगे महेश जी खड़े हो गये और फिर आदरणीय कल्ला जी भी खड़े हो गये। मैंने तो कहा है पीछे चर्चाओं में कि म्हारा बीकानेर में कहवें है कि ऊपर अल्लाह, नीचे कल्ला।

श्री सभापति: आप समाप्त कीजिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा): एक सैकण्ड में कर रहा हूं, साहब। आ कहावत बीकानेर में चालै है तो वा झूठी साबित न हो जाव। म्हारे दिल को दर्द है कि वा झूठी साबित नल हो जाव। कल्ला जी पूरी ताकत बताव। कल्ला जी बीच में खड़ा होग्या तो म्है कह्यो कि म्हारो संकल्प तो ग्यो। अब कल्ला जी पानी पर चर्चा करी। पानी पर मंत्री आया जद घणी बातां करी, जद मंत्र पढ़र म्हाने बिठा देता, श्लोक पढ़र म्हाने बिठा देता।

श्री सभापति: आप एक मिनट में अपना समाप्त करेंगे।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): एक मिनट में कर दूंगा, साहब।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, कल्ला जी व मुख्य मंत्री से पूरी आस है कि सदन इसको द्वितीय राजभाषा का दर्जा देगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: आप एक मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। श्री बलवान पूनियां, वन मिनट प्लीज।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, आप देख लीजिए 5.17, मैं 5.18 पर बंद हो जाऊंगा। बिहारी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसमें मेरा इतना ही संशोधन है कि राजस्थान सरकार, जो बिहारी जी ने लास्ट में एक सार की बात कही है कि छोटी-छोटी भाषाएं हैं राजस्थान में। कहीं मारवाड़ी है, कहीं ढूंढाडी है, कहीं हाड़ौती है, कहीं मेवाड़ी है, कहीं ब्रज भाषा है, उन सबके समायोजन का रास्ता निकालकर जो 2003 में आपने संकल्प पेश किया, उसका नया रास्ता निकालकर राजस्थान की सरकार फिर इस संकल्प को पास करे और भारत सरकार को भेजे, राजभाषा का दर्जा दे जिससे हमारी परीक्षाओं में, हमारे नौजवानों में, अपने संविधान को नहीं करना पड़ेगा। अपने प्रश्न, अपना ज्ञान, अपनी चीजें, ये सिर्फ आज साहित्यकारों की मांग नहीं है, नौजवानों की भी मांग है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि इस संकल्प को पारित करके भारत सरकार को भेजा जाये और राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा दिया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): मैं नोखा से आने वाले माननीय सदस्य का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा संकल्प प्रस्तुत किया। मं राजस्थानी मं ही बोलूं तो ज्यादा अच्छो रहसी।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

कोनि कोरो नाम रेत रो हल्दीघाटी,

अठ उग्यो इतिहास, पूजी जाय इण री माटी।

लोग जिका आवे हैं हल्दीघाटी मं, व बठै री माटी ले जार मस्तक माथ लगावे। दूर-दूर सूं यात्री आव है और हल्दीघाटी बीकानेर, राती घाटी, वठर बारा मं भी कहवे कि कोनि कोरो नाम रेत रो राती घाटी, अठ उग्यो इतिहास, पूजी जाय इण री माटी। आपा कहवा नी संस्कृत मं 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी', जननी यानी मां, मां कहव मूंडो भरी जाय और मायड़ भासा और जन्म भूम, ए तीनूं बहुत महत्वपूर्ण है। इर वास्ते मायड़ भासा रो प्रस्ताव, मं भाषा विभाग रो मंत्री थो, जण 25 अगस्त, 2003 न अर प्रस्ताव सर्वसम्मित सूं विधान सभा पारित करयो।

मं तो आप सब लोगा न या अरज करनी चाहूं कि आपा सारा लोग केन्द्रीय सरकार न आग्रह करा, वान या कहवा कि म्हारो जो प्रस्ताव है, वी न पारित करो। 10 लाख जिका लोग भाषा बोल, 15 लाख जिकी भाषा लोग बोल, वा न मान्यता है आपणा राजस्थान म, बाहर चैन्नई, कोलकत्ता, मुम्बई, बैंगलोर म, जठै-जठै रहवे हैं, व सारा का सारा करीब 15 करोड़ लोग है, जो ई राजस्थानी भाषा न बोले हैं। भाषा न मान्यता न देने सू आपां लोगो न बहुत बड़ो कष्ट है। मैं या बात कहनो चाहूं कि राजस्थानी भाषा र बारे में कन्हैयालाल जी सेठिया एक गीत लिख्यो।

"आ तो सुरगां नै सरमावे,
ईं पर देव रमण नै आवे,
ईं रो जस नर नारी गावै
धरती धोरा री
ईं रो बीकाणूं गरबीलो
ईं रो अलवर जबर हटीलो
ईं रो अजयमेर भड़कीलो
धरती धोरा री
आ तो सुरगां नै सरमावे,
ईं पर देव रमण ने आवे,
धरती धोरा री"

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

कहना रो मतलब या है कि इतनी मीठी भाषा जिके म, आप देखो कि

सावन रो महीने होवे तो रूत बरसे,

सुरंगी रूत बरसे, सम्भालो कृषि कुल्हाड़ा हाथ म, या रूत बरसे।

ये मगरेरा खेत खेत म चांदी जडी रेत

रेत में सोनो निपज्यो रे।

एडा-एडा कवि आपनां। मीरा बाई तो।

पायो जी मैंने राम रतन धन पायो

वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरू किरपा करि अपनायो

पायो रे मैंने राम रतन धन पायो।"

कहना रो मतलब यो है कि राजस्थानी भाषा में मीराबाई आपणी कलम चलाई। कबीर जी र बारे में बिहारी जी बता रिह्या था। अनेक लेखक आप रचना र माध्यम सूं राजस्थानी में समृद्धगी।

मैं एक बार आगे भी, राजस्थान में या बात कहीं कि ऊंट शब्द रा पर्यायवाची शब्द 200 हैं, राजस्थानी भाषा म। हिन्दी वालां न कदई ई बात रो अहंकार नहीं करनो चाहिये कि राजस्थानी भाषा है, हिन्दी रो महत्व कम हो जासी। राजस्थानी न मान्यता मिलने सू हिन्दी सशक्त और मजबूत हो ज्यासी। वा कठेही कमजोर कौ होवे नी।

आपणे बालिका वधू रो सीरियल देख्यो होयलो। कितने पोपूलर हुयो हो। राजस्थानी भाषा म जिकी-जिकी फिल्मया बनी है, ब फिल्मया।

खम्मा खम्मा र अजमाल जी र धनिया

थाने तो धावे आखो मारवाड़ रे, आखो गुजरात रे

रूणिजा रा धनिया।

कहनो रो मतलब यो है कि या भाषा रा बारे में, 28 तारीख ने माननीय मुख्य मंत्री जी, आपा सबने, बजट र बाद में, बुलार रात्रि भोज देवे। वा दिन 200 राजस्थान रा 200 एमएलए खेवो कि राजस्थानी भाषा न द्वितीय भाषा डिक्लियर करो। मैं समझूं हूं कि मुख्य मंत्री जी आपा सगला री बात न मानसी।

ईं तरीके से, अगर आपा सारा लोग, अगर प्रधान मंत्री जी न यदि प्रार्थना करां, आपा आग्रह करां कि म्हारो प्रस्ताव जिको है, 200 विधायक जिको प्रस्ताव न भेजे और केन्द्रीय सरकार बिणे नहीं माने तो आपरी

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

अवमानना है। मैं समझूं हूं, आपा जार वाने याद दिल्यासा नी, तो निश्चित रूप सूं, आप मान र चालो, आपणां ने संविधान री 8वीं अनुसूची में भी राजस्थानी न मान्यता देनी पडसी।

ईं वास्ता, आपां खाली अठे बोल लेवा, लेकिन प्राइवेट डे म, आपां वास्तव में संकल्प लेर इमें चालस्या, तो राजस्थानी निश्चित रूप से, वान: 8वीं अनुसूची म भी मान्यता मिलसी और द्वितीय राज भाषा रो दर्जो भी निश्चित रूप से मिलसी।

ई वास्ते कथनी और करनी में अन्तर न हो। पहली तो लोग कहवता कि कांग्रेसी सरकार है। कांग्रेस सरकार संकल्प लैवे कौनी। संकल्प लैवे कौनी। म तो पहली बार एमएलए बन्यो, थाने याद है। वी म पहाड़िया जी मुख्य मंत्री जी था। मं, लक्ष्मीकुमारी जी चूड़ावत, दीपेन्द्र सिंह जी शेखावत, तिन्यू प्राइवेट मैम्बर्स डे र दिन संकल्प लेर आया कि राजस्थानी भाषा न संविधान री 8वीं सूची म सम्मिलित कियो जावे। संकल्प पाछे विचार हुयो और वह विचार आगे बढ़ग्यो। बाद म, मने मौको मिल्यो, म पूरी कोशिश करी। आप सब लोगा भी कोशिश करी।

म पूरी विधान सभा न धन्यवाद देनो चाहूं कि सर्वसम्मति सू यो प्रस्ताव पारित कियो ग्यो कि राजस्थानी भाषा न संविधान री 8वीं अनुसूची म सम्मिलित कियो जावे। परन्तु मने दुःख है कि आज तक पतो नहीं वा फाइल कठे पड़ी दीमक खा रही है। लटाल्या खा रही है। जिको आपा न कह रियो है मारवाड़ी में, आज तक बेरे माथे कोई निर्णय नहीं हुयो। बे माथे निर्णय हो जातो तो आज आपां री एक चुटक री बात थी। पन फेर भी म या कहनो चाहूं, आपा सब लोग मिलकर माननीय मुख्य मंत्री जी न, आपा 200 सा 200 एमएलए कहस्या कि राजस्थानी ने द्वितीय राजभाषा रो दर्जो दियो जावे, तो माननीय मुख्य मंत्री जी, जो इने 8वीं अनूसूची म सम्मिलित करन सारू प्रस्ताव पारित करयो तो आपाणी बात जरूर मानेला। मने इमें कोई शक कोणी। मैं ई अवसर माथे...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अब आप प्रस्ताव पारित करो। प्रस्ताव पारित करो।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): हां तो प्रस्ताव पारित करो नी, कठे दिक्कत ह। प्रस्ताव तो, मने कोई दिक्कत कौनी। कोई प्रोब्लम कौनी। लेकिन इमे सारा रा सारा लोग मुख्य मंत्री जी न आपां जार प्रस्ताव रखा, तो

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

निश्चित रूप सूं, अधिकारिक तौर पर, जो म भाषा विभाग र मंत्री रूप में प्रस्ताव लेर आयो, बयां की बयां 200 राजस्थान 200 एमएलए मुख्य मंत्री जी न कहसी कि इने द्वितीय राजभाषा रो दर्जो दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): प्रस्ताव रखो, ...(व्यवधान) वहां से बोलो, हम सब यहां से हां करते हैं, मुख्य मंत्री जी के पास चला जायेगा। रख दो।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): प्राइवेट मैम्बर्स डे ह। म अधिकारिक रूप से सरकार प्रस्ताव लेर आसी।

श्री सभापति: आज तो गैर सरकारी...

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): आज तो प्राइवेट मैम्बर्स डे ह। (व्यवधान)

श्री सभापति: आज तो गैर सरकारी संकल्पों पर बात हो रही है न। (व्यवधान) ऐसे नहीं मान सकते।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): हकीकत म राजस्थानी भाषा न आपा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सारा लोग चावां तो 28 तारीख उपयुक्त दिन है। (व्यवधान) वा दिन सारा पक्ष और विपक्ष रा लोग, वाने जार बात करो, तो निश्चित रूप स ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आप ऐसे व्यक्ति हो ... (व्यवधान) प्रतिपक्ष की बात नहीं मान रहे हो। आप माहौल को अलग करने की कोशिश कर रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं मेरे विपक्ष की सहमति से कह रहा हूं, हम विपक्ष के लोग, जो बिहारी जी ने प्रस्ताव रखा, उसी भाषा को आप पढ़ लें। यह प्रस्ताव ले लें। (व्यवधान) हम सब ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आप बोल दो, उधर से। (व्यवधान) बिहारी जी आप देकर आओ। आप बोल दो, हम इधर से स्वागत करेंगे, पारित हो जायेगा। मुख्य मंत्री जी के नवरत्न ... (व्यवधान) कोई तो रत्न चमको।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): चूरू सूं आने वाला माननीय सदस्य, इ वास्ते राजकीय प्रस्ताव आसी। प्राइवेट मैम्बर्स डे म ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ले लो न साहब ...(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): राजकीय प्रस्ताव आर, विधिवत रूप सूं वाने लायो जासी। आप तो या कह रिहया हो, 25 अगस्त, 2003 ने

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

प्रस्ताव, आज 19 साल हो गया, वह बठे लटाल्या खा रिह्यो है, बी म आपां की नहीं कर पा रिह्या है। खाली औपचारिकता तो करनी कौनी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आज मुख्य मंत्री महोदय से भी हमने इस बारे में बात की थी। उन्होंने भी इसमें सहमति जताई। कोई बात नहीं, आप सोमवार को ले आना। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): 28 तारीख न आप वासू बात कर, इने तो कदि भी लायो जा सके है। कोई बड़ी बत कोनी।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): एक बात जरूर ह, राजस्थानी भाषा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपनी बात कम्प्लीट करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): जिके दिन बेणे मान्यता मिल जासी, बा दिन राजस्थान र लोगों रो भलो हो जासी। अठे र लोगां न एम्प्लायमेंट में, अठे र लोगां न आगे बढ़ने सारूं, अठे र बच्चों न बढ़ने सारूं, हर तरीके सूं, चहुंमुखी विकास होसी, इमे कोई शक कोनी।

में बिहारी जी न धन्यवाद दूं कि एक अच्छो संकल्प लेर आया। लेकिन साथे साथे यो भी करो कि आपा सारा लोग मिलकर प्रधान मंत्री जी कने चालो और संविधान री 8वीं अनुसूची में इने जुड़वाओ, जना जार राजस्थानी रो विकास होवलो।

मैं राजस्थानी भाषा रो बहुत समर्थक हूं। पण साथेसाथे या बात कहनो चाहूं कि आपा सब मिल कर, प्राइवेट मैम्बर्स डे न, यो विचार करयो है नी, तो राजस्थानी भाषा र वास्ते संकल्पित होकर, आपाने काम करन्यो चाहिये। धन्यवाद।

श्री सभापति: सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 28 मार्च 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.28 बजे सोमवार, दिनांक 28 मार्च 2022 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)